हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 30 मार्च, 2017 को अध्यक्ष श्री बृज बिहारी बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में पूर्वाह्न 11.00 बजे आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

30/03/2017/1100/RG/AG/1

प्रश्न सं. 4028

श्री यादविन्द्र गोमा : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें यह दर्शाया गया है कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट्ज के 19 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 4 भरे हुए हें और 15 पद रिक्त हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन पदों को कब तक वहां भर दिया जाएगा क्योंकि विभाग द्वारा फार्मासिस्ट्ज के पद निरन्तर भरे जा रहे हैं। हमारा दूर-दराज का क्षेत्र है और चंगर का इलाका है।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के 'ख' भाग के उत्तर में बताया गया है कि 10 औषधालय सरकारी भवन में व 8 पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गए भवनों में और 1 औषधालय दान दिए गए भवन में संचालित है। इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि अगर पंचायत के माध्यम से एन.ओ.सी. मिलती है, तो इन भवनों के निर्माण के लिए क्या विभाग जल्द-से-जल्द पैसा मुहैया करवाएगा? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि कुछ औषधालयों के निर्माण के लिए कुछ जमीन के मामले में पर्चा, तरतीमा वगेरहा लगाकर इनके पास भेजे गए हैं, तो क्या इसी बजट सत्र में माननीय मंत्री जी उनके लिए बजट मुहैया करवाएंगे ताकि उन भवनों का निर्माण हो सके?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने बहुत लंबा सप्लीमेंट्री क्वैश्चन पूछा है।

सहकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, तो इनके चुनाव क्षेत्र में हमारे 19 आयुर्वेदिक औषधालय हैं और इनमें से सिर्फ एक औषधालय में डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि इनके यहां आयुर्वेदिक औषधालयों में फार्मासिस्ट्ज के 15 पदों की कमी है और सिर्फ चार पद भरे हुए हैं। अभी हाल ही में हमने प्रयास किया कि इन पदों को भरा जाए। इसलिए 187 पद स्वीकृत हुए थे और वह प्रक्रिया जारी है। **जहां भी इनके क्षेत्र में दूर का इलाका होगा, तो तुरन्त वहां इनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, I assure you that.** अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने जो आयुर्वेदिक औषधालयों के भवनों की बात की है, तो इनके यहां 10 औषधालय सरकारी भवन में व 8 पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गए भवनों में व 1 दान दिए भवन में चल रहे हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि भवन के लिए

एम.एस. द्वारा जारी

30/03/2017/1105/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 4028 क्रमागत----सहकारिता मंत्री जारी--------

जो आपने ततीमा और कागज़ात भेजे हैं तो इस तरह की जो भी डिस्पेंसरीज होंगी, उनका पैसा हम सैंक्शन कर देंगे।

30/03/2017/1105/MS/AG/2

प्रश्न संख्याः 4029

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है उसके अनुसार वर्ष 2014-15 में 43 लोगों ने आवेदन किया था और वर्ष 2014-15 में ओ0बी0सी0 के लिए 3 लाख रुपये का बजट प्रावधान था। इसमें आपने लिखा है कि 4 मामले स्वीकृत हुए और 39 मामले लम्बित हैं। उसी तरह से वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 की भी सूचना है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष जिला कुल्लू में ओ0बी0सी0 के आवेदन-कर्त्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है और लम्बित मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। वर्ष 2014-15 में ओ0बी0सी0 के लिए 3 लाख रुपये का बजट प्रावधान था जोकि वर्ष 2015-16 और 2016-17 में घटकर 2 लाख 25 हजार रुपये हो गया। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है इन लम्बित मामलों को निपटाने के लिए क्या सरकार ओ0बी0सी0 के लिए बजट में वृद्धि करेगी? वर्तमान में कुल्लू जिला में कुल प्राप्त आवेदन 159 आपने कहा है तथा 149 लम्बित हैं यानी गत तीन वर्षों में केवलमात्र 10 मामले ही ओ0बी0सी0 के स्वीकृत हुए हैं। क्या इसके लिए बजट का प्रावधान करेंगे? इसके अलावा क्या आने वाले दिनों में जो ओ0बी0सी0 के लिए गृह निर्माण के लिए पैसा मिलेगा जैसे पहले 75 हजार रुपये मिलता था और अब 1 लाख 30 हजार रुपये है, क्या वह मिलेगा तथा क्या वह एग्जिस्टिंग बजट में ही मिलेगा या उसके लिए अतिरिक्त बजट का

प्रावधान करेंगे? आखिरी अनुपूरक प्रश्न यह है कि गत तीन वर्षों में मनाली विधान सभा क्षेत्र के ओ0बी0सी0 के कितने मामले स्वीकृत हुए?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछे हैं उनमें दो या तीन **बिन्दु बड़े महत्वपूर्ण** हैं। सबसे पहली बात there is an increase in population or no wonder जो अलॉटमैंट भी हम करते हैं वह भी जनसंख्या के आधार पर ही की

30/03/2017/1105/MS/AG/3

जाती है Same yardstick, which is applied to SC/ST, is applied to the OBC also. इस साल क्या हुआ है कि हाल ही में थोड़ी सी अमेंडमैंट कर दी गई है और वह अमेंडमैंट यह की गई है, which is in the overall interest, amendment is that first when the District Development Committee sits for consideration of these allotments they must clear minimum 70 per cent of the previous year backlog and no doubt as a result of that pendency has gone up. I have seen it very closely. अगर यह अमेंडमैंट हम नहीं करते तो जो पहले वाले केसिज हैं वे ठण्डे बस्ते में ही पड़ते जाते या भूल भी जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे केसिज होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कोई बेसहारा है जिसका घर कहीं नहीं बन पाया या किसी का आग, फ्लड या अन्य कोई घटना होने से घर नहीं बन पाया है तो उसे भी प्राथमिकता दी जाती है और सचमुच में आप सभी लोग यहां तक कि संसद सदस्य भी इसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं। डिस्ट्रिक्ट वेल्फेयर कमेटी में इसको आप ही लोग निर्धारित करते हैं। जो आपने पेडैंसी के मामलों के बारे में कहा, you are right. There are only 10 cases which have been looked after in case of Kullu.

जारी श्री जे0 एस0 द्वारा----

30.03.2017/1110/जेके/एएस/1

प्रश्न संख्याः 4029ः-----जारी------

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः---जारी----

और with the permission of the Hon'ble Speaker, now I will tell you about the overall pendency. There is an overall pendency of 12896. I can even give you the break-up in which SC 8312, ST 1957 and OBC 2627. Last Question that you have asked **जो 1 लाख 30 हजार का आपने यहां पर कहा है वह सरकार करेगी। जो गत् तीन वर्षों में पेंडैंसी रही है वह भी आपको पूरी कर दी जाएगी।**

30.03.2017/1110/जेके/एएस/2

प्रश्न संख्याः 4030

श्री बी0के0 चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय की चार साल पहले घोषणा हुई थी और चार साल के बाद भी इन्होंने इस पर कोई गौर नहीं किया। न कोई जगह तलाश की, न कोई भवन बनाया और न ही इनको कोई फेकल्टी मिली, इसके क्या कारण है?

दूसरा, मेरा इसी के साथ प्रश्न है कि आयुर्वेदा में फेकल्टी की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा के डॉक्टर्ज को अभी तक जॉब नहीं मिली है। They are waiting for this institute जब कोई आएगा तो हम उसमें ज्वाईंन करेंगे या उसमें कम्पीट करेंगे। पहले प्रश्न का जो उत्तर है यह hoodwinking है, क्योंकि चार साल में इनको कोई स्थान नहीं मिला। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि निश्चित डेट कौन सी होगी जब आप इस कॉलेज को शुरू करेंगे और साथ-साथ में फेकल्टी भी तब तक खड़ा करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी इस कॉलेज को चार साल नहीं हुए हैं, तीन साल हुए हैं। वर्ष 2018 में चार साल होंगे। आपका गलत जोड़ है। जनवरी, 2014 में तीन मैडिकल कॉलेजिज़, विशेषतौर से मैं श्री गुलाब नबी आज़ाद जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे अनुरोध पर हिमाचल सरकार को तीन मैडिकल कॉलेजिज के लिए 189 करोड़ रूपए दिए जिसमें 90 प्रतिशत शेयर केन्द्र सरकार का होगा और 10

प्रतिशत प्रदेश सरकार का होगा। उस वक्त चम्बा, हमीरपुर और नाहन, ये तीन मैडिकल कॉलेज मंजूर हुए थे। माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाए, न कोई जमीन ढूंढी है। इनको पता होना चाहिए क्योंकि ये चम्बा के विधायक हैं, उसके लिए सरोल नामक स्थान पर 101 बीघा जमीन मैडिकल कॉलेज चम्बा के नाम से पशु पालन विभाग को ट्रांसफर भी हो चुकी है और उसके टेंडर भी कॉल किए गए हैं। जहां तक मैडिकल कॉलेज शुरू करने का प्रश्न है, आपको पता है कि जो पैलेस वहां राजा चम्बा का था उसको हमने लिया है और उसकी रेनोवेशन में भी काफी पैसा खर्च कर दिया गया है और पंडित जवाहर लाल नेहरू, आयुर्वेदिक महाविद्यालय चम्बा के लिए प्रदेश सरकार ने योजना में 46 करोड़ 66 लाख 66 हजार रूपए और गैर योजना मद में 2 करोड़ 23 लाख 67 हजार रूपए का वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

30.03.2017/1115/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 4030 क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

और हमारी कोशिश है, इसमें काफी स्टाफ इंटरव्यू के माध्यम से सिलैक्ट कर दिया गया है। प्रिंसीपल लगा दिया गया है। एसोशियेट प्रोफेसर और कुछ असिस्टैंट प्रोफेसर्ज़ हैं। टीचिंग फैकल्टी अवेलेबल है। हमने तो दिल्ली में मीटिंग की, लुधियाना में मीटिंग की जहां मेडिकल कॉलेजिज़ हैं। अमृतसर में भी मीटिंग की। अध्यक्ष महोदय, उसके मुताबिक जो हमको डॉक्टर उपलब्ध हुए हैं उन डॉक्टरों की वहां पर तैनाती कर दी गई है। जो हमारे यहां प्रोफेसर थे, उनको वहां प्रिंसीपल लगाया गया है। डॉ ओरी उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हमने 29 जून, 2016 को सारा केस बनाकर मंजूरी के लिए भेजा है। <u>जैसे ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मंजूरी प्रदान करेगी, हम मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का प्रयास करेंगे।</u>

श्री बी0के0 चौहानः अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जो इन्होंने मेडिकल कॉलेज, चम्बा के लिए सैंक्शन किया है और आयुर्वेदिक कॉलेज स्वीकृत किया है, इसमें मंत्री महोदय

थोड़ा-सा कंफ्यूज कर गए हैं। इन्होंने जो प्रिंसीपल एप्वाइंट किया है वह मेडिकल कॉलेज के लिए दिया है। इन्होंने ठीक कहा कि उसके लिए जगह वह सिलैक्ट की है जहां पहले डिस्ट्रिक्ट एनीमल हस्बैंडरी का बड़ा हॉस्पिटल होता था और वहीं पर डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस भी था। वह इन्होंने लिया है। लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं, यह आयुर्वेदिक कॉलेज उससे अलग है। इसके लिए इन्होंने कहीं भी जमीन चिन्हित नहीं की है और न ही आज तक इन्होंने फैकल्टी के लिए कोई एडवरटाइजमैंट दिया है। इसके लिए कोई प्रिंसीपल वगैरह नहीं लगाया है और इसकी कोई भनक भी नहीं है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह डॉक्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, चम्बा की बात कर रहे हैं। इसका प्रश्न इन्होंने पूछा है। अगर ये आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक कॉलेज का जवाब मेरे सहयोगी आयुर्वेदा मंत्री जी देंगे क्योंकि यह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। परन्तु मैंने मेडिकल कॉलेज की भी आपको पूरी डिटेल दे दी है।

30.03.2017/1115/SS-AS/2

श्री बी0के0 चौहानः माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने आंसर में लिखा है कि जिला चम्बा में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में स्वीकृत किया गया है।

अध्यक्षः चौहान साहब, आप बैठिये। श्री हंस राज जी।

श्री हंस राजः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और मेडिकल कॉलेज के चक्कर में एक्चुअली हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। इसमें मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन इतना ही है कि जैसे माननीय मंत्री जी आपने नाहन में मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया, क्वैश्चन चाहे जो भी है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि नाहन से शिमला लोग चार या पांच घंटे में पहुंच जाते हैं। मेरे हिसाब से चंडीगढ़ भी दो या तीन घंटे में पहुंच जाते हैं। नाहन में भी मेडिकल कॉलेज का चलना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चम्बा चूंकि पिछड़ा जिला है और चम्बा में जो हमारा हॉस्पिटल चल रहा है वह आज खस्ता हालत में है। जो हमारी नेशनल लेवल की मेडिकल टीम आई थी, उन्होंने 75 परसैंट यह बोल दिया कि आपकी जो मौजदा हालत में सुविधाएं हैं वे इतनी पर्याप्त नहीं हैं कि हम वहां पर

मेडिकल कॉलेज शुरू कर सकें। तो क्या माननीय मंत्री जी यहां पर सदन और चम्बा की जनता को आश्वस्त करेंगे कि मेडिकल कॉलेज को प्रायोरिटी बेसिज़ पर शुरू किया जाए? क्योंकि अभी भी आप बोल रहे हैं कि हमें सम्भावना है कि शायद शुरू होगा। लेकिन मुझे लगता है कि चम्बा के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इसमें इस बार कोई मजबूत पग उठायेगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, चम्बा क्योंकि हमारे जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर पर है और चम्बा पिछड़ा हुआ दूर-दराज का जिला है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमने चम्बा में मेडिकल कॉलेज की अनुशंसा गुलाम नबी आज़ाद जी को की थी और जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र डोडा है वह भी चम्बा, शलूनी के साथ मिलता है। इसलिए उन्होंने हमारी सिफारिश के मुताबिक चम्बा, हमीरपुर और नाहन मेडिकल कॉलेज मंजूर किये थे। मुझे खुशी है कि नाहन मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर की क्लासें बैठ गई हैं,

जारी श्रीमती के0एस0

30.03.2017/1120/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 4030 जारी----

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी---

सैकिण्ड ईयर की क्लासें अगस्त में बैठेंगी। हमारी कोशिश है, हमने प्रयास किए हैं और 120 बीघा जमीन हमने सरोल में चिन्हित की है। 101 बीघा जमीन मैडिकल कॉलेज के नाम हो गई है। प्रिंसिपल की हमने तैनाती कर दी है। मैडिकल कॉलेज को चलाने के लिए हमने पैलेस किराये पर लिया है। उसका पूरा जीर्णोद्धार कर दिया है। उसमें हमने लाखों रुपये खर्च किए हैं। इस मैडिकल कॉलेज को इसी साल आरम्भ करने की हमारी कोशिश होगी परन्तु यह डिपैंड करता है whether we get the permission or approval from the Medical Council of India or not. We are perusing this case vigorously and I hope that we will be able to succeed.

30.03.2017/1120/केएस/डीसी/2

प्रश्न संख्याः 4031

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दो-तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सोसायटी में लोगों के कितने डिपोज़िट्स हैं? दूसरे, क्या जो लोगों के डिपोज़िट्स हैं with interest उनको दिए जाएंगें? तीसरे, क्योंकि यह केस डिप्टी रजिस्ट्रार के कोर्ट में पैंडिंग है, उसको बहुत समय लग सकता है तो क्या सरकार one time grant-in-aid दे कर लोगों की जो लाइबिलिटी है, डिपोज़िट्स हैं, उनको अदा करेगी?

सहकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, Sir, the Hon'ble Member has raised a very important question. Basically it is regarding Rajpura Society, जो आपकी नालागढ़ में हैं और यह अमाऊंट बहुत ज्यादा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि आप चाहते हैं कि लोगों को नुकसान न हों, उनको उनके सारे पैसे मिल जाएं। यह जो केस चला हुआ है, आप तो जानते ही हैं, उनका नाम श्री राजेन्द्र कुमार जी है। इन्होंने 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा अमाऊंट देना है। 50 लाख रु0 इन्होंने दे दिए हैं। दूसरे श्री नसीब सिंह जी हैं। उन्होंने 10 लाख 5 हजार रु0 डिपोज़िट कर दिए हैं। मैं आपको डिटेल्ड रिपोर्ट दूंगा। अभी राजेन्द्र कुमार जी जेल में हैं। इनको डिविज़नल कमिशनर के थ्रू समन भेजेंगें। यह केस वर्ष 2009 का है जो कि बहुत पुराना है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इनसे जो ड्यू हैं, इनकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है। The case is with the Divisional Commissioner. जहां तक लोगों के नुकसान की बात है, उससे आप निश्चिंत रहिए। I assure the House that I will talk to Hon'ble Chief Minister and सरकार की ओर से जो सजा देनी होगी to recover the money ताकि लोगों को भी उसका नुक्सान न हो। I assure that.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह जो इस प्रश्न का "ए" भाग है, यह पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है। जिसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने यहां जवाब दिया है कि प्रदेश में

कुल पंजीकृत सेवा समितियां 5097 हैं और 179 बन्द होने की कगार पर हैं, डिफाल्टर्ज़ 311 हैं। एक तो इन सभी की सूचनी माननीय मंत्री महोदय सभा पटल पर रखने की कृपा करें ।

30.03.2017/1120/केएस/डीसी/3

दूसरे, जो 5097 कॉप्रेटिव सोसायटीज़ हैं, इनमें प्रदेश की जनता का कुल डिपोज़िट कितना है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन सोसायटीयों में जो सचिवों के चयन की प्रक्रिया है, वह क्या है? कौन उनका चयन करता है और चयन करने के उपरांत कितने डिपोज़िट्स के ऊपर उनकी इन्क्रीमैंट आगे लगती है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सारी की सारी कॉप्रेटिव सोसायटीज़ केवलमात्र सचिवों ने हाईज़ैक कर रखी हैं और वहां पर परिवारवाद फलता-फुलता नज़र आता है। क्या इस पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार नियम की शर्तो में कोई संशोधन करेगी?

सहकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने प्रदेश सरकार की बात की this was subject to Rajpura. वहां पर जो डिपोज़िट्स हैं वे 6 करोड़ 10 लाख 67 हजार 114 हैं। जो आप सूचना चाहते हैं उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

30.3.2017/1125/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 4031 ------- क्रमागत

सहकारिता मंत्री --------- जारी

जैसे इन्होंने प्रश्न किया है और जो डीफाल्टर है या जिसने गड़बड़ की है उसकी हमने 46 बीघा जमीन अटैच कर ली है उससे रिकवरी हो जायेगी।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी सहकारी सभाएं हैं उसका जैसे माननीय रविन्द्र सिंह जी ने ब्यौरा मांगा। जब सहकारी सभाओं के सचिवों और सैल्जमैन के नियम बनाये गये उसमें ए0, बी0, सी0 ग्रेड के हिसाब से सोसाइटी को क्लासीफाई किया गया। नॉर्म्ज ए0, बी0 और सी0 सोसाइटी के हिसाब से सचिवों ने तो अपनी तनख्वाह बोर्ड से पास करवा दी लेकिन सैल्जमैन का जो रूल में प्रोविजन है कि उनकी भी तनख्वाह फिक्स की जाए। सैल्जमैन को वही कमीशन मिलता है जो पहले मिलता था। तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और जो नियम बने हैं उनको लागू करने का आश्वासन देंगे?

सहकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। जहां तक सैल्जमैन के कमीशन की बात कर रहे हैं यह सोसाइटी पर निर्भर करता है कि उनकी इनकम क्या है और वह कितना दे सकती है, उसमें सरकार बाध्य नहीं है। नियम के अंतर्गत पूरी छूट दी गई है कि as per their financial position, they can take action. हम चाहते हैं कि उसकी सैलरी का मोडल बनें और उसकी परमिशन दी जा चुकी है। फिर भी, आपने यह विषय हमारे ध्यान में लाया है तो इस पर विचार किया जायेगा।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहने का तात्पर्य नहीं था। सोसाइटियों को जो इन्सैंटिव मिलता है वह सैल्जमैन को कमीशन के रूप में दिया जाता है। सचिवों ने तो बोर्ड में तय करके अपनी तनख्वाह फिक्स कर ली। उनमें सोसाइटी के ग्रेड के हिसाब से किसी की तनख्वाह 50 हजार रुपये है और किसी की 60 हजार रुपये है। लेकिन सैल्जमैन के लिए उन नियमों को आज तक लागू नहीं

30.3.2017/1125/av/dc/2

किया गया है। उनकी तनख्वाह फिक्स करने के लिए जो नियम बने हैं क्या माननीय मंत्री जी उन नियमों को लागू करवायेंगे?

सहकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नियमों की बात की गई है तो इस पर विचार किया जायेगा।

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 6.10 करोड़ रुपये की राशि डिपोजिट है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 6.10 करोड़ रुपये की राशि प्रिंसिपल अमाऊंट है या ब्याज सहित है तथा यह कब तक का अमाऊंट है? क्योंकि गरीब लोग शादियों के लिए या दूसरी जरुरत पड़ने पर पैसे नहीं निकाल सकते। इसलिए जो 6.10 करोड़ रुपये की राशि है यह आज तक ब्याज सहित है या प्रिंसिपल अमाऊंट है? अगर यह प्रिंसिपल अमाऊंट है तो ऐम्बजलमैंट 2.39 करोड़ रुपये की है फिर लोगों को बाकी पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है?

सहकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने वैसे पूरी डिटेल में उत्तर दिया है। हमारे डिपोजिटर्स 529 हैं। इनका अमाऊंट 6,89,52,879 रुपये और रीफंड के 673 है। Rs. 2,80,88,589 is the balance deposited by Members and Non Members, यह सारा मिलाकर 5226 सारा बनता है । जैसे मैंने बताया ब्याज सहित 6,10,67,114 रुपये बनता है।

श्री वर्मा द्वारा जारी

30/03/2017/1130/टी0सी0वी0-ए0जी0/1

प्रश्न संख्या 4032

श्रीमती सरवीन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मूल प्रश्न किया था, उसमें थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें मेरा प्रश्न पूछने का मूल भाव यह था कि विभाग को कितना पैसा इन रेस्ट हाऊसिज की रिपेयर के लिए मिला है? लेकिन इस प्रश्न में 'से' और 'को ' से सारी लैंग्वेज़ चेंज हो गई है। आपने यहां पर जो 20,950/- रूपये का आंकड़ा दिया है, शायद ये उन रेस्ट

हाऊसिज़ में जो लोग ठहरे हैं, उनसे जो इनकम हुई है, उसके बारे में दिया गया है, लेकिन उन रेस्ट हाऊसिज़ को रिपेयर के छोटे-मोटे काम करने के लिए कितना पैसा मिला है? आपने यहां पर 4 रेस्ट हाऊसिज़ रिड़कमार, करेरी, लपियाण और परगोड़ का ब्योरा दिया है। इन रेस्ट हाऊसिज़ की छोटी-मोटी रिपेयर के बहाने आपके विभाग के उपाध्यक्ष ने शिलान्यास पट्टिकाएं लगाईं हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि ये ब्रिटिश काल के रेस्ट हाऊसिज़ हैं, इतने पुराने समय के रेस्ट हाऊसिज़ होने के कारण ये हैरिटेज रेस्ट हाऊसिज़ की श्रेणी में आ जाते हैं। इनमें भी फट्टे लगा देना और लपियाणा में तो उनके द्वारा 3 फट्टे लगाये गये हैं। एक फट्टा जीर्णोंद्वार का दिनांक 01-07-2013, शिलान्यास 5-1-2014 को और इसके उद्घाटन का फट्टा 14-5-2016 को लगाया गया है। हमारे समय में भी छोटी-मोटी रिपेयर और फर्नीचर के लिए पैसे सभी रेस्ट हाऊसिज़ में आये थे। मैंने यह बात माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में भी लाई थी, जब वह मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर आए थे। क्या मंत्री जी ने या विभाग के अधिकारियों ने इन चारों हैरिटेज बिल्डिंग्ज़ के उद्घाटन और शिलान्यास करने की परमिशन दी हैं ? ये मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं।

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेन प्रश्न पूछा गया है कि गत तीन वर्षों में शाहपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वन विभाग के विश्राम गृहों से कितनी-किनी धनराशि विभाग को प्राप्त हुई; ब्यौरा विश्रामगृहवार दें। उसके मुताबिक हमने पूरा जवाब माननीय सदस्य को दे दिया है। जहां तक इन्होंने सप्लीमेंटरी की है, यदि इनको उसकी इन्फार्मेशन चाहिए तो वह इन्फार्मेशन इनको दे देंगे या सभा पटल पर रख देंगे, क्योंकि इस प्रश्न के साथ आपकी सप्लीमेंटरी का कोई कंसर्न नहीं है। That is the problem.

30/03/2017/1130/टी0सी0वी0-ए0जी0/2

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय, विभाग ऐसी अनुमति दे रहे हैं, ब्रिटिश टाईम के जो रेस्ट हाऊसिज़ बने हैं, क्योंकि ये नये रेस्ट हाऊसिज़ तो है नहीं, इसमें अडिशनल फंड थोड़ा-बहुत आता है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती थी कि क्या इनके जीर्णोंद्वार, शिलान्यास या उद्घाटन के लिए आप या आपका विभाग परमिशन दे रहा है? क्योंकि मेरे ध्यान में एक केस है, जैसे मुख्य मंत्री जी ने गेयटी थियेटर के साथ एक फट्टा लगाया था,

वह भी एक हैरिटेज़ बिल्डिंग थी। जबकि हैरिटेज बिल्डिंग के ऊपर इस तरह के फट्टे लगाना अलॉऊड नहीं हैं, लेकिन मैंने आपके विभाग का पूछा है कि क्या आप ऐसी परमिशन दे रहे हैं?

वन मंत्रीः वैसे तो इस प्रश्न के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पुराने रेस्ट हाऊसिज़ की मरम्मत सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है। There is no problem. उसके लिए पैसा हम देते रहते हैं। यदि वह बहुत ही खराब कंडीशन में है तो उसके लिए परमिशन देते हैं, but it is not in my knowledge कि किसी ने कोई इस तरह का फट्टा लगाया है।

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर इनकी जानकारी में नहीं हैं, तो विभाग के अधिकारियों ने वहां शिलान्यास/उद्घाटन करवाएं हैं, जिसके फोटोग्राफ़स मेरे पास हैं। क्या उन अधिकारियों या जिसने भी ये शिलान्यास/उद्घाटन करवाएं हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन लेंगे?

वन मंत्री श्रीमती एन0एस0..... द्वारा जारी।

30/03/2017/1135/ एन0एस0/ए0जी0 /1

प्रश्न संख्या : 4032.....जारी।

वन मंत्रीः मैडम, इसका इस सवाल के साथ कोई कन्सर्न नहीं है। अगर ...(व्यवधान)... My dear, you listen to me. मैं आपको जबाव दे रहा हूं कि इनको दे रहा हूं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? I am addressing the Chair. Why are you intervening?

Speaker: Hon'ble Minister, you go on please.

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ कोई कन्सर्न नहीं है। फिर भी अगर इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यह अलग से सवाल करें। मैं उसका जबाव दूंगा।

अध्यक्ष : आप अलग से पूछिए।

श्रीमती सरवीन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वयं कहा कि मेरे ध्यान में यह नहीं है। आप कान्ट्रडिकटरी कह रहे हैं और अब आप अपने अधिकारियों/लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत गलत है। आपने स्वयं कहा कि इन जीर्णोद्वारों, शिलान्यासों और उद्घाटनों का मुझे पता नहीं है। यह आपका जबाव है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर लगे हैं तो क्या आप उन अधिकारियों की छानबीन करेंगे और अगर आपके विभाग के लोगों ने ऐसा किया है, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेंगे या कोई विभागीय एक्शन लिया जायेगा?

वन मंत्री: ऐसी कोई बात होगी तो हम पता करेंगे। I will let you know.

30/03/2017/1135/ एन0एस0/ए0जी0 /2

प्रश्न संख्या : 4033

श्री वीरेन्द्र कंवर: अध्यक्ष जी, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने दी है। उसमें 11-03-1999 में जो कुटलैहड़ क्षेत्र बंगाणा तहसील में 2427.18 हैक्टेयर भूमि की एंटरी हुई है और खुदरो दरख्तान में इसका इंदराज किया गया है। प्रश्न के जबाव के (b) भाग में कहा गया है कि पार्शियली किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह पार्शियली क्यों किया गया है? दूसरा, जब इसकी एंटरी मालिकों के नाम पर हो गई है तो वहां पर जो प्लांटस और पौधे हैं, उनको इसका मालिकाना हक आज तक क्यों नहीं मिला है? क्या आप इस विषय को सैंटर्ल एम्पावरमैंट कमेटी में ले गए हैं, यदि इस विषय को ले गये हैं तो इसकी बैठक कब हुई और कौन-कौन अधिकारी इसमें शामिल हुए?

वन मंत्री : इस सवाल का जबाव सरकार पहले दे चुकी है। अगर माननीय सदस्य डिटेलड अंसर चाहते हैं, मैं उसे देने के लिए यहां तत्पर हूं। मैंने माननीय सदस्य को पहले भी बताया था कि अब यह चुनावी साल है। यह वर्ष 1999 और 2002 की बात कर रहे हैं। उस वक्त आपकी सरकार ने फैसला किया था और उसे प्रोपरली अमलीजामा नहीं पहनाया गया था।

जहां तक आप इसकी एंटरी और फोरैस्ट की एंटरी को हटाने की बात कर रहे हैं, वह उस समय नहीं हटी थी। यह ठीक है कि कुछ जमीन उसमें शामिल की गई थी। लेकिन यह काम रेवैन्यू विभाग का था। जमीन के मालिक तो खुदरो दरख्तान वाले खुद हैं लेकिन उसमें जो दरख्त हैं, उसकी मालिक सरकार है। आप मुझसे लेटैस्ट इनफॉरमेशन पूछ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए हमने कोर्ट में प्राईवेट वकील किया है और उसको फीस दे रहे हैं तथा उन्होंने कोर्ट में केस लगाया था, अब चार हफ्ते बाद इस केस की लास्ट पेशी/सुनवाई होगी। अभी 21.03.2017 को यह पेशी हुई है। यह लेटैस्ट पोजिशन ही है। We are pursuing the matter again and again.

श्री आर0के0एस0 ..... द्वारा जारी।

30.03.2017/1140/SLS-AS-1

प्रश्न संख्याः 4033...जारी

वन मंत्री...जारी

यह पेशी अभी 21.03.2017 को लगी थी। अब उन्होंने 4 सप्ताह का टाइम दिया है। उसके बाद जो भी फाइनल डिसिज़न आएगा, वह लोक हित में आएगा और हम उसको इम्प्लिमैंट करेंगे।

श्री वीरेन्द्र कंवरः अध्यक्ष जी, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)...

अध्यक्षः यह प्रश्न बहुत लम्बा हो गया है, और अब इसी प्रश्न को बार-बार क्यों पूछ रहे हैं इसमें चार सप्लीमैंटरी हो गई है I will allow three supplementary only.
(व्यवधान)...अब इसी प्रश्न को थोड़ी पूछते रहेंगे। आप बैठ जाइए।(व्यवधान)...

श्री बिक्रम सिंहः सर, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

Speaker : I will allow only one supplementary each to Shri Virender Kanwar & Sh. Bikram Singh .

श्री वीरेन्द्र कंवर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा था कि जब यह विषय सैंट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी में गया और उस कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक में सरकार की ओर से कोई अधिकारी या प्रतिनिधि क्यों नहीं गया? दूसरी बात, मंत्री जी ने उत्तर दिया और कहा कि हमने हाई कोर्ट में मामला रखा। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने वकील की बात कही कि इसके लिए वकील किया गया है; क्या यह वकील सरकार की ओर से किया गया है? क्या विभाग स्वयं हाई कोर्ट में गया है या कोई लाभार्थी हाई कोर्ट में गया है? पंजाब में भी खुदरो दरख्तान मलकीयत का विषय उठा था। वहां की सरकार इस तरह का केस हल कर चुकी है और किसानों को उसका लाभ मिल चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार किसानों के प्रति इतनी संवेदनहीन क्यों है?

30.03.2017/1140/SLS-AS-2

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, कंवर साहब एक तो यह बताएं कि पंजाब सरकार द्वारा यह मामला कब हल किया गया? यह मेरी सूचना में नहीं है। अगर हुआ है तो उस निर्णय की प्रति दे दें। जहां तक आपने वकील करने की बात कही है, सरकार वकील कैसे करती है, किस प्वायंट ऑफ व्यू से करती है और वह किस एवज़ में रखा जाता है, यह आपको पता है। इस केस को परस्यु करने के लिए वन विभाग की ओर से स्पैशल वकील किया गया है और वकील इस केस को लड़ रहा है। जहां तक आपने कमेटी की बात की, उस कमेटी में हमारे अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इंटरवीन करते रहे हैं। तभी यह केस यहां तक पहुंचा है अदरवाईज यह केस यहां तक पहुंचना ही नहीं था।

श्री बिक्रम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 'बी' पार्ट में लिखा है कि खुदरो की एंट्री पार्शियली हटी है। जब यह एंट्री पार्शियली हटी या कुछ जगह पर हटी है, वहां के लिए भी आपने कहा कि वहां पर भी पेड़ों को ग्रीन फैलिंग के कारण नहीं काटा जा

रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको एक अवधि के बाद काटने की परमीशन सभी जगह है। खैर के पेड़ को 10 साल बाद काटा ही जाता है। बांस को भी 2 साल बाद काटते ही हैं। इसलिए जो पेड़ खुदरो में आते हैं, जिनको 10 साल या 2 साल के बाद काटा जाता है, उसके लिए तो परमीशन मिलनी चाहिए। क्या कारण है कि उसके लिए भी परमीशन नहीं मिल रही है?

वन मंत्री : बिक्रम जी, आपको ज्ञात है कि ग्रीन फैलिंग पर प्रतिबंध है। जहां तक आप खुदरो की बात कर रहे हैं, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया और उस आदेश में भी यही कहा गया कि इनको भी आप सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं काट सकते। This is the case. That's why we are fighting for that. उसमें जो भी खुदरो दरख्तान हैं, उनकी मालिक सरकार है। जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उसकी एंट्री नहीं हटती, तब तक उन पेड़ों को नहीं काट सकते। जैसे ही परमीशन आएगी, हम काटने के लिए कहेंगे।

अगला प्रश्न ... श्री RKS

30/03/2017/1145/RKS/AS/1

प्रश्न संख्याः 4034

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सूचना इन्होंने सभा पटल पर रखी है उसमें 'क' भाग का उत्तर दिया गया है-'सहकारी सभाओं के माध्यम से जो राशन डिपो/ उचित मूल्य की दुकानें चलाई जा रही है उनके सेल्जमैनों/डिपो होल्डर्ज को वेतन नहीं बल्कि कमीशन दिया जाता है।' मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उनको कितना कमीशन दिया जाता है? प्रश्न के 'ख' भाग

के उत्तर में लिखा है कि 'उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाता है'। लेकिन यह गलत है। उनका कमीशन फिक्स है। मेरे हिसाब से जो कमीशन दिया जाता है वह बहुत कम है। वे लोग 12 घंटे काम करते हैं। कुछ डिपो होल्डर्ज़ ने किराये पर दुकानें ले रखी हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक उन लोगों की आय प्रति माह 5 या 6 हजार से ज्यादा नहीं होती है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि उनकी कमीशन को कम-से-कम 10 प्रतिशत किया जाए। माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनका कमीशन बढ़ाई जाएगी। साथ में, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि डिपो होल्डर्ज/सेल्जमैन अपना सारा राशन सरकारी गोदामों से लाते हैं। इनके ऊपर फूड सेफ्टी एक्ट भी इम्प्लिमैंट होता है। फूड सेफ्टी एक्ट को इम्प्लिमैंट करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि इसका लाइसैंस बनाने के लिए इनका 5-10 हजार रुपये लग जाता है। इनकी कमीशन पहले ही बहुत कम है और दूसरा लाइसैंस बनाने के लिए इनका 10 हजार रुपये लग जाता है। इनको इस दायरे से बाहर निकाला जाए। तीसरा, पिछली सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के सेल्जमैंनों के ऊपर रूल्ज़ बनाए थे। उनकी पे फिक्स की गई थी। क्या यह सरकार उसी ढंग से रूल्ज़ बनाकर, जो अन्य सरकारी सेवाएं हैं, उनके सेल्जमैनों के वेतन को भी फिक्स करने की पॉलिसी बनाने का विचार रखती है?

सहकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पूरी डिटेल में जवाब दे दिया गया है। लेकिन जैसे माननीय सदस्य जी ने कमीशन की बात की और मैंने पहले जो उत्तर दिया commission is according to the financial condition of the Society. हम उसको फिक्स नहीं करते हैं। जहां तक कमीशन परसेंटेज की बात है i.e. 3% आपने एन्हैंसमैंट की

30/03/2017/1145/RKS/AS/2

बात की ये हम mater will be taken up with the Hon'ble Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Minister. उनके माध्यम से हम इसे सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो आपने रूल्ज की कॉपी मांगी थी वह भी आपको दे दी गई है। इसमें अंडर रूल्ज-56 में

डिसाइड किया था कि इनके लिए मॉडल स्ट्रक्चर बनाया जाए। इनको हमने फ्री हैंड दिया है। यदि आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह सोसाइटी ने करना था। यह ऑटोनॉम्स बॉडी है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जो भी इनकी मांगे आती हैं, हम उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। जो आपने चिंता जाहिर की है उसके ऊपर अवश्य विचार किया जाएगा।

श्री RG द्वारा जारी...

30/03/2017/1150/RG/DC/1

प्रश्न सं. 4035

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसमें मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि जहां तक बहरापन तथा बधीरपन का संबंध है, इसकी जांच की सुविधा किसी भी जिला अस्पताल में नहीं है। उत्तर के अनुसार यह सुविधा केवल आई.जी.एम.सी. एवं टांडा मैडिकल कॉलेज में है। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जो अपंगता की पेंशन लगती है इसके लिए इस प्रमाण-पत्र को प्राप्त करना अनिवार्य है और जब तक 40% या इससे ज्यादा अपंगता का प्रमाण-पत्र न बना हो तब तक यह पेंशन प्राप्त नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि आई.जी.एम.सी. में भी इसके लिए सिर्फ एक ही ऑडियोमीट्रिक का टैक्नीशियन है जिसको यह परीक्षण करना होता है? इसका परीक्षण डॉक्टर्ज नहीं करते और उसके पास इतनी लंबी लाईन लगी होती है कि मैं उसके उदाहरण दे सकता हूं। सिरमौर से एक मरीज आई, उसको 9 महीने की डेट दी गई और कहा गया कि 9 महीने के बाद आओ। कुल्लू से एक मरीज आया, तो उसको 11 महीने की डेट दी गई। इन मरीजों के नाम भी मेरे पास हैं। इस सारी गंभीरता को देखते हुए और जो असुविधा मरीजों को हो रही है, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस लाईन के जो टैक्नीशियन्ज हैं, वे यहां भी ऐडीशनल होने चाहिए और चरणबद्ध तरीके से क्या पहले माननीय मंत्री जी

जोनल हॉस्पीटल्ज में यह सुविधा उपलब्ध करवाएंगे ताकि लोगों को शिमला के चक्कर न लगाने पड़ें और फिर इस प्रकार की सुविधा जिलों में भी देंगे? यदि देंगे, तो कब तक देंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी ने ठीक कहा है कि जो अन्धापन या दूसरे अपंगता प्रमाण-पत्र हैं, वे हर जिला अस्पताल में उपलब्ध हैं, सिर्फ बहरापन तथा बधीरपन के प्रमाण-पत्र देने की मशीन हर जगह नहीं है। Bera Test की मशीन या तो इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज में है और दूसरी डॉ. राजिन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज, टांडा में है। इसमें B.Sc.(Audiologist) हमारे पास उपलब्ध नहीं है। **मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि बहुत जल्दी इसके पद हम जोनल हॉस्पीटल में क्रियेट करेंगे और उसके मुताबिक उनको ट्रेनिंग के लिए पी.जी.आई., चण्डीगढ़ भेजेंगे ताकि जोनल हॉस्पीटल में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।** क्योंकि

30/03/2017/1150/RG/DC/2

यह ठीक है कि इसमें महीनों की डेट्स दी जाती हैं और मेरे ध्यान में भी यह बात आई है। इसके **अतिरिक्त हम एक और कोशिश करेंगे कि अभी एक-एक मशीन दोनों मैडिकल कॉलेज में है, लेकिन डॉक्टर्ज ने कहा है कि यदि एक-एक मशीन हमें और मिल जाए, तो हम मरीजों को जो ज्यादा लंबी डेट्स देते हैं उसको कम कर सकते हैं। यह जो Bera Machine है यह लगभग 13,00,000/-रुपये की मशीन है, हमारी कोशिश होगी कि वह हम एक-एक ऐडीशनल मशीन इन दोंनों मैडिकल कॉलेज में उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त B.Sc(Audiologists) के पद तीन जोनल हॉस्पीटल के लिए क्रियेट कराएंगे और ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे।**

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न पूछने का तो मेरा अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी नेत्रहीनता के बारे में जिक्र किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको टैस्ट करने के लिए यह प्रमाण-पत्र जिलों में नहीं मिलता जब तक मण्डी नहीं जाओ और मण्डी में कोई निजी संस्था है। कितने प्रतिशत अपंगता है वह चैक करने के लिए वहां जाते हैं और वहां पैसे लगते हैं। तो क्या यह सारी सुविधा जहां-जहां नेत्रहीनता के टैस्ट होते हैं, वहीं उपलब्ध हो

जाएगी? चाहे वह कम्प्युटर या किसी मशीन पर हो ताकि उनको दर-दर की ठोकरें न खाना पड़े?

अध्यक्ष : यह तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया।

Health & Family Welfare Minister : Mr. Speaker, Sir, so far as the blindness certificate is concerned, every district hospital has the facility and they give certificate to particular person who goes and appear before the Medical Board, which consist of 4 to 5 doctors. Then they give the certificate. Sometime they give 30%, 40% , 50% and 60%. This is wrong to say that this is not possible. अन्धापन के प्रमाण-पत्र देने की सुविधा हमारे हर जिला अस्पतालों में उपलब्ध है, लेकिन यदि कहीं डॉक्टर को शक हो, तो उस सूरत में exceptional cases are referred to IGMC.

एम.एस. द्वारा अगला प्रश्न शुरू

30/03/2017/1155/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 4036

Social justice and Empowerment Minister: Since this is a very humane problem. Hon'ble Chief Minister had personally gone on the ground and I had accompanied him on that day. This is very sensitive issue and concerns a society which has been over looked over the years. मैं आपको इस प्रश्न के बारे में कुछेक अहम पहलू बताना चाहता हूं। ग्राम पंचायत जाड़ला में 30 परिवार बरड़ समुदाय से संबंधित हैं जिनमें से 26 परिवारों के पास स्वयं माता-पिता के नाम मौजा जाड़ला कल्याणा और आरला में मल्कीयत भूमि है। कुल 4 परिवार भूमिहीन थे जिनको 3 बिस्वा भूमि प्रत्येक परिवार को हस्तांतरित की जा चुकी है। उपरोक्त 26 परिवारों ने भूमि आबंटन हेतु आवेदन किया हुआ है जोकि पात्रता की परिभाषा में नहीं आते हैं। परन्तु जैसे मैंने मान्य सदन में पहले भी बताया कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सोलन प्रवास के दौरान इन सभी 26 परिवारों को भूमि देने के लिए आश्वासन दिया है जिसकी अनुपालना में इन सभी परिवारों

के भूमि आबंटन संबंधी प्राक्कलन प्रदेश सरकार को भेजे जा रहे हैं, जिन पर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है। आबंटन हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत चण्डी में 12 परिवार बरड़ समुदाय से संबंधित हैं जिनमें से 10 परिवारों के पास स्वयं माता-पिता के नाम मल्कीयत भूमि है। कुल 2 परिवार भूमिहीन हैं जिन्होंने भूमि आबंटन हेतु आवेदन किया हुआ है जिस पर भूमि आबंटन हेतु कार्रवाई भी की जा रही है। आबंटन हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है। भूमि हस्तांतरण उपरान्त भवन निर्माण बारे निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया जाना है।

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ा विस्तृत जवाब दिया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय 13 अप्रैल, 2015 को दून क्षेत्र में प्रवास पर जब गए थे तो ये बरड़ कॉलोनी में भी गए थे। जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है इसमें विभाग ने थोड़ा सा गलत उत्तर दे दिया है। यहां 30 में से केवल 4 परिवारों के नाम जमीन थी तथा 26 परिवारों के नाम कोई जमीन नहीं थी। जिसका पूरा प्राक्कलन माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर डी0सी0 सोलन ने सरकार को एक साल पहले भेजा हुआ है लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि दून विधान सभा क्षेत्र की चण्डी व जाड़ला बरड़ कॉलोनी के साथ-साथ पूरे प्रदेश में जहां-जहां भी अनुसूचित जाति के लोगों की कॉलोनीज हैं तो जिनके पास भूमि नहीं है और

30/03/2017/1155/MS/DC/2

रहने के लिए जगह नहीं है, क्या इन सभी को चिन्हित करके इनके लिए प्रदेश सरकार कोई प्रस्ताव तैयार करेगी तथा इनको भूमि देकर उनके लिए आवासीय कॉलोनी का सलोगढ़ा की तर्ज पर प्रबंध करेगी क्योंकि माननीय मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र सलोगढ़ा में इस तरह की एक बरड़ कॉलोनी बनी है और सरकार ने उसका निर्माण किया है। क्या मंत्री जी ऐसा आश्वासन देंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जैसे मैंने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है और हमारी सरकार की पूरी कोशिशें हैं कि जहां भी इस प्रकार की कॉलोनीज जो अभी

तक नियोजित तरीके से नहीं बन पाई हैं, उस तरफ पूरी प्रक्रिया से इसके प्रारूप बनाए जाएं। उस पर सरकार पूरी गम्भीरता से विचार भी करेगी और इस ओर कदम भी उठाएगी।

प्रश्नकाल समाप्त

अगली मद श्री जे0एस0 द्वारा----

30.03.2017/1200/जेके/एजी/1

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः श्री सुरेश भारद्वाज जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं?

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी-अभी प्रश्न लगा हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान आज के हिन्दुस्तान टाइम्ज की ओर दिलाना चाहता हूं। दृष्टिहीनों के बारे में अभी-अभी इसी सदन में प्रश्न लगा हुआ था, जो बेचारे अन्धें हैं वे कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल पुलिस ने उनको जिस प्रकार से पकड़ कर उठा करके फेंका है और इससे पहले भी उनको सचिवालय के पास से उठाया गया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि आपकी मांगें मान ली जाएगी। उनकी छोटी-छोटी मांगें हैं। उनका बैकलॉग है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। उनको बस पास मिलना चाहिए उनको बस पास नहीं मिल रहा है। इस बात के लिए यह सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई है? ये जो बेचारे अन्धें हैं, दृष्टिहीन है, उनके लिए कानून बना हुआ है उस कानून का भी पालन नहीं किया और अभी एक महीने के अन्दर-अन्दर दोबारा से उनको धरने पर बैठना पड़ा। पुलिस उनको उठा-उठा करके ले जा रही है जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। सरकार को इस पर ज़वाब देना चाहिए, क्यों इस प्रकार से अन्धें लोगों को मारा-पीटा जा रहा है? यह सरकार की असंवेदनशीलता बताती है।
___(व्यवधान)____

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप क्या कहना चाहते हैं? Not to be recorded. आप सिर्फ बोलते ही जाते हैं। इसकी सरकार से रिपोर्ट मंगवा दी जाएगी। माननीय मुख्य मंत्री जी इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, **जो दृष्टिहीन लोग है वे स्वयं मेरे से दो-तीन दफा पिछले दिनों मिल चुके हैं। हमने उनको आश्वासन दिया है कि उनके लिए उचित रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे।** जहां तक बसों में जाने की बात है वह पास तो उनको अपना ही देना पड़ता है। They will get it. उन्होंने भी मुझसे कहा था कि हमारे पासिज नहीं बनें हैं। **हमने कहा कि यह रूल्ज में प्रोवाइडिड है और वह ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को अप्लाई करें उनको तुरन्त ट्रेवल डॉक्युमैंट पास मिलेंगे, जिससे वे सरकारी बसों में भ्रमण कर सकेंगे।** _प्रार्थना पत्र तो उनको ही प्रोमिनेंट अथॉरिटी को देना पड़ेगा तभी जा करके उनके पास बनेंगे।

30.03.2017/1200/जेके/एजी/2

सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17) के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं :-

i. समिति का 180वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 82वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है;

ii. समिति का 181वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 125वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है; और

iii. समिति का 182वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 148वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है ।

30.03.2017/1200/जेके/एजी/3

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17) के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूंः-

i. समिति का 27वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित है; और

ii. समिति के 16वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-2014) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है।

30.03.2017/1200/जेके/एजी/4

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17) के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर भी रखती हूंः-

i. समिति का 72वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 55वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का 74वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के ऑडिट पैरों की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित से सम्बन्धित है

30.03.2017/1200/जेके/एजी/5

अध्यक्षः अब विधायी कार्य होंगे और विधेयकों की पुरःस्थापना होगी। श्री रविन्द्र सिंह जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन का ध्यान एक प्रश्न जो आज लगा था प्रश्न संख्या 4044 है। वह बड़ा साधारण सा प्रश्न था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब बजट भाषण पढ़ा तो सारे का सारा ज़वाब उस प्रश्न का उसमें आ चुका है। यहां पर ज़वाब दिया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह बड़ा साधारण सा प्रश्न था कि वर्तमान में प्रदेश में कितनी तहसीलें, उप-तहसीलें कार्यरत्त हैं, ब्यौरा दें? कितने तहसीलदारों के पद सृजित हैं और कितने खाली हैं?

Speaker: This cannot be admitted. (Interruption) No, no. This cannot be admitted.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह एक विषय है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट भाषण में सारा कुछ बता दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के अन्तर्गत ही बोल रहा हूं। (Interruption)

Speaker: This is part of Question Hour. There is no Point of Order. No, no. Not to be spoken. (Interruption) यह गलत बात है। You cannot raise any question any time.

एस0एस0 द्वारा जारी---------

30.03.2017/1205/SS-AG/1

अध्यक्ष महोदय के बाद..

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले तक इनका प्रश्न था कि कितनी तहसीलें हैं, उनमें कितने पद खाली हैं और कितने भरे गये हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप "ख" भाग देखेंगे तो उसमें इन्होंने पूछा है कि इनमें से कितने पद तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य पद सृजित हैं। यह अन्य पदों के बारे में हमारे पास इंफोरमेशन परसों आई है और इसी सत्र में दे देंगे। बाकी इंफोरमेशन मेरे पास सारी उपलब्ध है लेकिन जो अन्य पदों की इंफोरमेशन है वह सिर्फ परसों आई है।

30.03.2017/1205/SS-AG/2

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब सरकारी विधेयकों की पुरस्थापना होगी। अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करता हूं।

30.03.2017/1205/SS-AG/3

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 3) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का

निवारण) संशोधन विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करेंगे।

30.03.2017/1205/SS-AG/4

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का

निवारण) संशोधन विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 4) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

जारी श्रीमती के0एस0

30.03.2017/1210/केएस/एएस/1

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करेंगें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5) पुरःस्थापित हुआ।

30.03.2017/1210/केएस/एएस/2

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान

वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

अध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट अनुदान मांगों पर आगे चर्चा एवं मतदान को जारी रखते हुए क्योंकि आज चर्चा का अंतिम दिन है अतः आज ही विनियोग विधेयक की पुरःस्थापना होगी तथा इस पर विचार एवं पारण भी होगा। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 1973 के नियम, 196 (7) के अन्तर्गत आज सांयकाल गिलोटिन लगा दिया जाएगा। अतः सभी सदस्यों से मेरा पुनः निवेदन है कि वे कम से कम समय में अपनी बात करें ताकि अधिक मांगों पर विचार हो सके।

अब मांग संख्या-13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई पर हुई चर्चा का उत्तर माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी देंगी। (व्यवधान)

माननीय मंत्री जी, कृपया आप एक मिनट बैठ जाइए। ये कह रहे हैं कि कल कुछ बोलने के लिए रह गया है ।

श्री हंस राजः जी, अध्यक्ष महोदय, कल आपने व्यवस्था दी थी।

अध्यक्षः आप बोलना तो चाहते हैं लेकिन It was decided by your Party that the reply will be there. Your Leaders have decided that nobody will speak and only the Hon'ble Minister will reply. This was decided earlier, now you are changing your point.

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

30.3.2017/1215/av/as/1

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी मांग पर बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष : आप अपनी पार्टी में पहले डिसाईड कर चुके हैं और मैं बोलने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। You have already conveyed your decision to me that nobody will speak and Hon'ble Minister will reply. Now you are changing this stand. How can I work here? I would like to know from the Chief Whip of the Party.

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, आपने कल इनके बारे में व्यवस्था दी थी, इनको बोलने दीजिए।

अध्यक्ष : आपने डिसाईड भी तो किया था।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, हमें मालूम नहीं था कि इनका नाम भी आपके पास आया है। आपने व्यवस्था दी हुई है और केवल एक ही माननीय सदस्य बोलेंगे।

Speaker : Ok, I allow one person only.

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष जी, मैं डिमाण्ड नम्बर 13 पर आए कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

कहते हैं *जल ही जीवन है* और इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आदमी सुबह सो कर उठता है तो उसकी दिनचर्या की शुरुआत कहीं-न-कहीं पानी से होती है। उठने के बाद हाथ धोने, मुंह धोने, नहाने या शौच जाने की बात हो और दिनचर्या समाप्त होने पर भी आदमी पानी को लेकर ही सोता है। इसलिए कहीं-न-कहीं हम यह भी कह सकते हैं कि पानी के बिना जीवन असम्भव है। हमें सुबह 6.00 बजे से लेकर रात के 10.00 बजे तक जितने भी फोन आते हैं उन फोनों में 80 प्रतिशत फोन पानी की समस्या को लेकर होते हैं। कहीं पर

30.3.2017/1215/av/as/2

लोग कहते हैं कि पीने का पानी 3-4 दिन से नहीं है। अगर कहीं पर है तो पीने का पानी ठीक नहीं आ रहा है या कहीं पर लाइन टूटी है। इस तरह के अनेकों कारण लोग पानी को लेकर बताते हैं। अध्यक्ष जी, सभी वक्ताओं ने अनेकों बातें पानी को लेकर की है। लेकिन मैं इधर-उधर की बात न करता हुआ आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक नहीं अनेकों पेचजल की स्कीमें बनी हैं। उन स्कीमों से लोगों को साफ पानी मिले उसके लिए फिल्टर बैड्ज की व्यवस्था भी की गई है। मैंने पीछे इस सदन के माध्यम से एक प्रश्न किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी पीने के पानी की स्कीमें बनी हैं उन स्कीमों में कितने फिल्टर बैड ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। उस प्रश्न के उत्तर में आया था कि नाचन विधान सभा क्षेत्र की लगभग 70 स्कीमें ऐसी हैं जिनके फिल्टर बैड ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। जब फिल्टर बैड ही ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे (---व्यवधान---)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि उनको रोज टेलीफोन आते हैं कि पानी नहीं है या पानी कम है, इत्यादि। क्या माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि वह फोन कहां से आते हैं?

श्री वर्मा द्वारा जारी

30/03/2017/1220/टी0सी0वी0-डी0सी0/1
मुख्य मंत्री ..... जारी

क्योंकि ये कहते हैं-अब मैं अपनी कांस्टिचुएंसी की बात करता हूं। इसका मतलब है कि वह टेलीफोन इनकी कांस्टिचुएंसी के बाहर के हैं। इसलिए आप बताएं कि कहां से आपको टेलीफोन आते थे, ताकि हमें मालूम हो सकें कि कहां पर ये त्रुटि है। ये आपके श्रेत्र के हैं या बाहर के हैं। आपने पहले ये कहा कि मुझे रोज टेलीफोन आते हैं, पानी के बारे में, कि पानी नहीं हैं। अब मैं अपनी कांस्टिचुएंसी की बात करता हूं। इसका मतलब है कि जो टेलीफोन आपको आते हैं, वह कांस्टिचुएंसी के नहीं है, बल्कि बाहर के हैं। आप ये बताओ, ताकि हम इस त्रुटि को दूर कर सकें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसके टेलीफोन आते हैं? आप सिर्फ ये बताएं कि कहां से आते हैं? अगर आप सूचित करेंगे तो हमें मदद मिलेगी और अगर कोई त्रुटि है तो हम उस त्रुटि को सुधारेंगे।

श्री विनोद कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पानी को लेकर फोन कहां से आते हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर एक निर्वाचन क्षेत्र का हम नेतृत्व कर रहे हैं, तो नाचन विभान सभा की अनेकों पंचायतों से ही हमें फोन आते होंगे। अगर ---(व्यवधान)--- सर, मैं उसको पूरा कर लूं। ---(व्यवधान)---

Chief Minister: I refer to the record. उन्होंने कहा कि मुझे टेलीफोन आते हैं कि पानी नहीं है और यह कहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अब अपने क्षेत्र की बात करता हूं। इसका मतलब वह अपने क्षेत्र की बात तो अब कर रहे हैं।

श्री विनोद कुमारः सर, शायद आपने पूरी बात नहीं सुनी होगी, मैंने यह कहा कि मैं इधर-उधर की बात न करता हुआ, अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं, आपने पूरा सेंटेंस नहीं कहा। इसके साथ-साथ ही जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि किस-किस क्षेत्र/पंचायतों से आपको पीने के पानी की समस्या के बारे में शिकायतें आती है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये जो पीने के पानी को लेकर यहां बात की गई या खराब पानी को लेकर यहां पर बात की गई हैं, मेरी अपनी पंचायत, चैलचोक में जब भी हल्की-सी बारिश होती है, तो बिल्कुल रेड पानी मिलता है। इसके अलावा घरोट, झूंगी,

30/03/2017/1220/टी0सी0वी0-डी0सी0/2

मसोगल, चच्योट, बासा, गोहर पंचायत जहां पर हमने उठाऊ पेयजल योजनाएं बनाई हैं, वहां पर आज पानी की बहुत अधिक दिक्क़त हैं। वहां पर लोगों को जितना पानी मिलना चाहिए, उतना पानी नहीं मिल रहा है और जब भी थोड़ी सी बारिश हो जाती है, तो वहां पर पानी इतना खराब होता है कि उस पानी को आदमी तो छोड़ो, लेकिन उस पानी को जानवर भी नहीं पी सकता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि एक स्कीम सन् 2012 में, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय उठाऊ पेयजल योजना चैलचोक और चच्योट पंचायत को पेयजल सुविधा प्रदान करवाने के लिए बनाई गई थीं और इस योजना का शिलान्यास किया गया था, लेकिन 2012 से आज 2017 चल रहा है और 2018 भी आ जाएगा, लेकिन उस स्कीम का कार्य आज दिन तक पूरा नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि कौन-सा कारण हैं, जो इस स्कीम का कार्य पूरा नहीं किया जा रहा है। अभी तब टैंक नहीं बने हैं, पानी की जो पाईप वहां पर बिछनी थी, वह नहीं बिछ पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप विभाग को ओदश दें, ताकि जल्दी-से-जल्दी इस स्कीम को बनाया जाये और इन पंचायतों के लोगों को इस स्कीम का लाभ मिल सकें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री और मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि एक उठाऊ पेयजल योजना -मावीसेरी और उसके आस-पास जितने भी गांव हैं, उन गांवों को

पानी की स्कीम के साथ जोड़ने के लिए बनाई गई थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने ही उसका उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन करने के बाद अभी तक वहां पर

श्रीमती एन0एस0..... द्वारा जारी।

30/03/2017/1225/ एन0एस0/डी0सी0 /1

श्री विनोद कुमार..... जारी

कुछ गांव ऐसे छूटे हैं जो इस स्कीम में दर्शाये गये थे। इन गांवों में न तो पाइपलाईन बिछाई गई है और न ही पीने के पानी की ठीक व्यवस्था की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उठाऊ पेयजल योजना, मौवीसेरी और आसपास के गांवों को पानी की व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए जो स्कीम तैयार की गई है, वे इस स्कीम को प्रोपर तरीके से चलाने के लिए विभाग को आदेश दें ताकि इसका लाभ वहां की जनता को मिल सकें। इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर एन0सी0पी0सी0 हैबिटेशन, झुंगीकंसा के नाम से एक स्कीम है। इस स्कीम में लगभग एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में इस स्कीम का कार्य पूरा हो चुका है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इसकी मेन ग्रेविटी जो उस समय मैप में दिखाई गई है, जितनी गहराई इस लाईन की होनी चाहिए थी, उतनी गहराई इस लाईन की नहीं है। इसकी 80 प्रतिशत लाईन बिल्कुल ओपन में है। इसे भी माननीय मंत्री जी देखें। इसके अतिरिक्त इस स्कीम में जी0आई0 पाईप है और उसके ज्वाईंट्स प्रोपर तरीके से नहीं लगाये गये हैं। जिसके कारण पूरी लाईन डैमेज़ हो चुकी है। इसके साथ-साथ जितने भी टैंक्स वहां पर बनाये गये हैं, उनमें से अधिकतर टैंक्स टूट चुके हैं। जो लाईन डोगरी हाऊस के साथ जोड़नी थी, उसको प्रोपर तरीके से नहीं जोड़ा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी उठाऊ पेयजल योजना की स्कीमें बनी हैं और जब तक ये स्कीमें सरकार के पास थीं, तब सब कुछ ठीक था। लेकिन जब से अपने कुछ चेहते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए इन

स्कीमों को ठेके पर दिया गया है। तब से ही पीने के पानी की समस्याको ठेके पर दिया गया है। तब से ही पीने के पानी की समस्या ज्यादा आनी शुरू हुई है। जब तक यह स्कीमें सरकार के पास थीं और सरकार स्वयं इन स्कीमों को देखती थी, तब वहां से किसी प्रकार की कोई कंपलैंट नहीं आती थी। लेकिन जब से आपने इन स्कीमों को ठेके पर दिया है, तब से लगातार उन क्षेत्रों में पीने के पानी की दिक्कत आ रही है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप विभाग को आदेश दें कि वहां पर जो पीने के पानी की

30/03/2017/1225/ एन0एस0/डी0सी0 /2

समस्या आ रही है, उसे ठीक किया जाए। क्योंकि गांव के लोग जब आपके अधिकारियों/कर्मचारियों को फोन करते हैं, तब वे कहते हैं कि हमने स्कीम ठेके पर दी है, आप फ्लां-फ्लां से बात कर लो। जब उस ठेकेदार से बात करते हैं, तब वह ठेकेदार कहता है कि मैंने 1000-1500 रूपये में एक व्यक्ति रखा है, आप उससे बात कर लो। जब लोग उसके पास जाते हैं तो वह कहता है कि आप विभाग वालों से बात करो, मेरा काम तो सिर्फ पानी को छोड़ना और बंद करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह की कोताही ठेकेदारों द्वारा वहां पर की जा रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि आप ठेकेदारों को आदेश दें कि जितना एरिया उनके पास है, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम न आए और वे उसको ठीक तरीके से देखें। मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन रहेगा कि आप विभाग को आदेश दें कि अगर इस तरह की दिक्कत वहां पर आ रही है, इस तरह की कंपलैंट्स वहां से आ रही है तो तुरन्त आप उस ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई करें और उसके ठेके को कैंसल करें ताकि लोगों को पीने का पानी ठीक तरीके से मिले। अध्यक्ष महोदय, ईश्यू बहुत हैं और सभी माननीय विधायकों ने अपने-अपने ईश्यूज़ इस माननीय सदन में उठाये हैं। मैं यहां पर ज्यादा लम्बी बात न करते हुए, इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

30/03/2017/1225/ एन0एस0/डी0सी0 /3

श्री बलवीर सिहं बर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः 13 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्चाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और बहुत सालों से यह समस्या चली आ रही है।

श्री आर0के0एस0 ..... द्वारा जारी।

30/03/2017/1230/RKS/AG/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा....जारी

मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में पहले बहुत सारी पानी की लिफ्टें सैंक्शन्ज हुई थी और अभी भी बहुत सारी सैंक्शन्ज़ हुई हैं। जो लिफ्टें वर्ष 2004 में सैक्शन्ज हुई थी/टैंडर हुए थे आज तक वे कम्प्लीट नहीं हुई हैं। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने इस माननीय सदन में कई बार आश्वासन भी दिए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी 16 लिफ्टें हैं जो 10-12 सालों से अनकम्प्लीट हैं। उसमें से कुछ स्कीम्ज़ ऐसी हैं जिसमें पीने के पानी के लिए लोगों को 8-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कुछ ग्रेविटी की स्कीम्ज़ ऐसी हैं जिसके लिए वर्ष 2009 में टैंडर लगा, 4 किलोमीटर तक उसकी पाइपें बिछ गई परन्तु एक किलोमीटर और पाइपें बिछाने के लिए वर्ष 2012 से हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं। यह नोराबोरा पंचायत की बात है। इससे दो पंचायतें फीड होनी थी। सिर्फ एक किलोमीटर पाइप और बिछ जाती तो जो 4 किलोमीटर पाइपें बिछी हुई हैं उनका भी सदुपयोगा हो जाता। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में ऐसी 200 ग्रेविटी की स्कीम्ज़ हैं, जो वर्ष 2010-12 में शुरू हुई थी। लेकिन वे अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ पानी की लिफ्टें 95 प्रतिशत तैयार हो गई हैं और इनमें 5 प्रतिशत कार्य शेष होना है। यदि यह 5 प्रतिशत कार्य गर्मी से पहले हो जाए तो जनता को बहुत राहत मिलेगी। मेरे क्षेत्र में

अधिकतर लोग पहाड़ी पर रहते हैं, ऊंची चोटियों पर रहते हैं और उनको खड्ड से पानी लाने के लिए 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अभी भी हमारी कुछ लिफ्टें तैयार हो सकती हैं परन्तु विभाग वाले कहते हैं कि हमारे पास फण्ड्स उपलब्ध नहीं है। इन लिफ्टों के लिए थोड़ा ही फंड चाहिए। कोई बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है। यदि थोड़ा-थोड़ा फंड इन लिफ्टों के लिए दे दिया जाए तो 6-7 लिफ्टें तैयार हो सकती हैं। जिससे 10-12 पंचायतें लाभान्वित होंगी। दूसरा, जो ग्रेविटी की 200 स्कीम्ज हैं, वह वे स्कीम्ज हैं जिनके टैंडर वर्ष 2008, 2009, 2010 व वर्ष 2011 में लगे थे। जिनमें 60-70 परसेंट पाइपें बिछी हुई हैं और शेष पाइपें बिछनी बाकी है। 10-15 स्कीम्ज में 80 परसेंट पाइपें बिछ चुकी है। यदि 20 परसेंट पाइपें और मिल जाए तो ये स्कीम्ज़ कम्प्लीट हो सकती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो 20

30/03/2017/1230/RKS/AG/2

परसेंट पाइपें इन स्कीम्ज को और चाहिए, यदि वे गर्मी से पहले दे दी जाए तो बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा। मेर विधान सभा चुनाव क्षेत्र में एक छोर से दूसरे छोर तक 192 किलोमीटर का डिसटैंस है। मेरे चुनाव क्षेत्र में मैक्सिमम इंटीरीअर एरिया है और इस क्षेत्र में अभी तक पानी की दो ही लिफ्टें कार्य कर रही हैं। 21 लिफ्टों पर कार्य प्रगति पर है। दो लिफ्टों से 64 पंचायतों व इस लम्बे एरिया को कवर करना बहुत मुश्किल काम है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि डिपार्टमैंट की ऐसी टीम भेजी जाए ताकि जिन स्कीम्ज में 80 या 90 प्रतिशत कार्य कम्प्लीट हो गया है और उनका 10 प्रतिशत कार्य शेष है उसको पूरा करने के लिए कोई स्पेशल बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि उस कार्य को कम्प्लीट किया जा सके। चौपाल निर्वाचन क्षेत्र में चौपाल हैड क्वार्टर है। वहां पर भी पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। तहसील कुपवी में भी पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। चौपाल के लिए 6-7 किलोमीटर दूर से पानी आता है। हाल ही में अभी उसमें कुछ रिपेर भी हुई है। वहां पर सिर्फ 100 पाइपों की और आवश्यकता है। जिससे चौपाल तक प्रोपरली पानी आ जाएगा और हमारा गर्मी का सीजन भी निकल जाएगा। नेरवा की कुछ पंचायतें ऐसी हैं जैसे

बमटा, पौड़िया हैं, वे चोटियों पर हैं। यहां भी पानी की बहुत समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि इसके लिए आप जल्द-से-जल्द पाइप और बजट का प्रावधान करें ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पानी की समस्या दूर हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

30.03.2017/1235/**SLS-AG-1**

अध्यक्ष : अब श्री राजेश धर्माणी, माननीय मुख्य संसदीय सचिव कटौती प्रस्तावों पर चल रही इस चर्चा में भाग लेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या - 13 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

विपक्ष की तरफ़ से कुछ कटौती प्रस्ताव यहां पर लाए गए हैं। बहुत सारे सदस्यों ने अपने विचार रखे। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी राजनीतिक बात कहने के लिए ही विचार रखे लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव भी दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अच्छे सुझाव हैं, माननीय मंत्री जी उनके ऊपर ज़रूरी कार्रवाई करेंगी ताकि हमारा सिस्टम और बेहतर हो।

हमें इस बात की खुशी है कि आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 95% गांव के अंदर पीने के पानी के नल उपलब्ध करवाए गए हैं और उनमें अच्छा पानी दिया जा रहा है। कुछेक जगह पर समस्याएं हैं। कुछेक छोटी स्कीमें बनाई गई थीं लेकिन ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन के कारण कई जगह उनके स्रोत सूख गए हैं। उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से, लाईफ स्टाईल में आए बदलाव की वजह से भी

समस्याएं पैदा हुई हैं। आज से 15-20 साल पहले पानी की जितनी पर-कैपिटा कंजम्पशन थी वह बहुत कम थी। आज वह बढ़ी है। इसलिए हमारे लाईफ स्टाईल के साथ-साथ बिजली और पानी की कंजम्पशन भी बढ़ती है। उसके अनुसार कई जगह पर स्कीमों की ऑगुमैंटेशन भी हुई है लेकिन कुछेक की ऑगमैंटेशन करने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगहों पर समस्या का कारण हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। हमने देखा कि स्कीम के सोर्स में पानी है, वह पानी पूरा लिफ्ट भी पूरा हो रहा है लेकिन जब पानी के बंटवारे की बात आती है तो कई जगह कुछेक लोग पानी का ज्यादा मिसयूज करते हैं; उनको ज़रूरत से ज्यादा पानी मिल रहा है जबकि कुछेक को ज़रूरत के मुताबिक भी पानी नहीं मिल पाता

है। जो हमारा फील्ड स्टॉफ है, उसको इसके लिए थोड़ा-सा चुस्त-दुरुस्त करने की ज़रूरत है। स्टॉफ की कमी में भी सुधार करने की ज़रूरत है।

जो इन्होंने आऊटसोर्सिंग की बात कही है, मैं इनकी उस एक बात पर सहमत हूं । आऊटसोर्सिंग पर विभाग शायद ज्यादा पैसा ख़र्च कर रहा है लेकिन जो उसकी आशानुरूप सेवाएं उनको डायरैक्टर्ज़ के द्वारा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही हैं। मैडम, इसके बारे में थोड़ा-सा विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा ख़र्चने के बावजूद भी हमें अच्छी सेवाएं नहीं मिल रही हैं। इसके बजाये अगर हम मैन पॉवर की कमी को आऊटसोर्सिंग पर लें; जैसे बिजली बोर्ड ने मैन पॉवर सप्लाई का प्रबंध किया गया है, वहां मेंटेनैंस गैंग्ज डिवीजन वाईज ली हैं, वह ज्यादा बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। हमें अगर भर्ती करने में कोई दिक्कत है तो मैन पॉवर की कमी को हम आऊट सोर्सिंग के माध्यम से पूरा करें ताकि हम सिस्टम को बेहतर तरीके से चला सकें।

आपने विभाग का एक कॉल सैंटर खोल रखा है जिसकी वजह से लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। लेकिन उसके वर्किंग ऑवर्ज़ आफिस ऑवर्ज़ के साथ ही हैं; वह 10.00 बजे से

5.00 बजे तक ही ड्यूटि देते हैं। इसको 24 घंटे नहीं तो कम-से-कम सुबह 6.00 बजे से लेकर शाम के 10.00 या 11.00 बजे तक करना चाहिए ताकि जो लोग दिन में अपने काम में व्यस्त होते हैं, वह सबेरे-शाम भी अपनी शिकायतें दर्ज़ करवा सकें। जैसे विनोद जी की रहे थे कि विधायकों को भी फोन आते हैं, उससे भी फिर निज़ात मिलेगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो स्कीमें सूख रही हैं, उसके लिए कहीं-न-कहीं माइनिंग भी जिम्मेवार है। इसलिए माइनिंग पॉलिसी को भी रिवियु करने की ज़रूरत है। यहां पर हमारे माननीय उद्योग मंत्री भी बैठे हैं।

जारी ... श्री गर्ग जी

30/03/2017/1240/RG/AS/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री राजेश धर्माणी)---क्रमागत

हमारे यहां हिमाचल प्रदेश में Natural Minerals का काफी भंडार है। यह जरूरी नहीं है कि हम सारे-के-सारे क्रशर्ज, सारे-के-सारा बिल्डिंग मैटीरियल खड्डों और नदियों के बैंक्स से ही उठाएं। अगर हम रिवर बैंक्स के बजाय बाहर जाएं, जहां कहीं पर हमारे पास डेजट्र्स हैं, नंगी पहाड़ियां हैं जहां कोई पेड़ नहीं है, तो वहां भी हमारे क्रशर्ज लग सकते हैं और वहां भी माइनिंग एरिया डिक्लीयर किया जा सकता है। कई स्थान ऐसे हैं जहां उनको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और वहां से रॉ-मैटीरियल निकालकर हम अपनी मांग को भी पूरा सकते हैं बल्कि दूसरे राज्यों में भी उसको भेजा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जो स्कीमें अधूरी हैं, हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने वर्ष 2017-18 के बजट में उनके लिए 160 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। अभी श्री बलबीर सिंह वर्मा जी जिक्र कर रहे थे, पहले तो ये कुछ और भाषा बोलते थे और अब इनकी भाषा कुछ और हो गई है। पहले तो ये तारीफ करते थे कि चौपाल क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और अब शायद टोपी के रंग के साथ इनका भाषण भी बदल गया। लेकिन चलो, यह लोकतंत्र है। ----(व्यवधान)---मैं कोई इनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे उपभोक्ताओं को जो बिजली या पानी का बिल आता है या सिंचाई के माध्यम से जो सुविधाएं उनको दी जाती हैं, उनका बिल आता है, उसके लिए भी 450/-रुपये का ऐनर्जी चार्जिज सरकार bear करेगी, इसका प्रावधान भी किया गया है ताकि उपभोक्ताओं पर इसका ज्यादा बोझ न पड़े। माननीय धूमल साहब भी यहां बैठे हैं और अन्य जो यहां वरिष्ठ लोग हैं, हम इनसे भी अनुरोध करेंगे कि जो सर्विस टैक्स हमारे पानी या बिजली के बिलों पर लगता है, इसको भी थोड़ा wave off किया जाए क्योंकि वह भारत सरकार ने लगाया है और अगर इसको wave off करेंगे, तो हमारे उपभोक्ताओं को टैक्स से 15-16% की निजात मिलेगी।

श्री महेन्द्र सिंह : अब जी.एस.टी. लागू होने वाला है।

मुख्य संसदीय सचिव(श्री राजेश धर्माणी) : सर, सर्विस टैक्स उसमें भी है और वह बढ़ रहा है। 15% के बजाए 18% हो रहा है या फिर 21% भी हो सकता है। जी.एस.टी. के लिए कन्सैन्सस है। जब हम सत्ता में थे, तो ये लोग विरोध करते थे।

30/03/2017/1240/RG/AS/2

लेकिन अब ये केन्द्र में सत्ता में हैं और हम विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाते हुए उसका समर्थन कर रहे हैं, यह अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय, यहां जो NRDWP में स्कीमें बन रही थीं। यह 160 करोड़ रुपये अधूरी स्कीमों के लिए देना पड़ा जो स्कीमें near to completion हैं, वह पैसा इसलिए देना पड़ा क्योंकि भारत सरकार ने NRDWP में फन्ड्ज का काफी कट लगाया है और पिछले सालों में हम देखते हैं और अपने डिवीजन्ज में देखते हैं, तो लगभग दस गुणा तक का कट लगा है। तो यह बहुत बड़ा drastic cut है जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी स्कीमें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए आपको मदद करनी है। AIBP में आज कोई फन्डिंग नहीं हो रही है। उसमें भी हमें आपको मदद चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सीर खड्ड का माननीय धूमल साहब ने जाहू-बम के बीच में चैनलाइजेशन का फॉउन्डेशन स्टोन रखा था। उसके लिए प्रदेश सरकार के अनुरोध पर 24 करोड़, 17 लाख रुपये स्वीकृत किया गया था, लेकिन अब उसके पैसे पर भी कट लग

गया है। अभी हमें उसमें सिर्फ 11 करोड़, 70 लाख रुपये मिला है, बाकी का पैसा भारत सरकार नहीं दे रही है। इसके अतिरिक्त बाकी के जो प्रोग्राम थे और श्री इन्द्र सिंह जी भी चैनलाइजेशन का मुद्दा उठाते रहते हैं, मेरे चुनाव क्षेत्र में भी बहुत सारा हिस्सा अभी चैनलाइजेशन के लिए बचा है। लेकिन जैसी मुझे जानकारी मिली है, तो अब भारत सरकार ने यह जो फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम था, उसके तहत खड्डों के तटीयकरण का काम किया जाना था, चाहे सीर खड्ड की चैनलाइजेशन थी, वह थोड़ी थी, लेकिन जैसे स्वां या अन्य तटीयकरण का काम होना था, तो अब उस स्कीम को ही बंद कर दिया है। जिसके कारण ये क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो इसमें भी आप थोड़ा मदद करें।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सीवरेज में भी काफी जगह पर अलोकेशन हुई है, लेकिन सीवरेज के बारे में हमारे अधिकारी कहते हैं कि भारत सरकार ने कहा है कि इसकी टैक्नॉलॉजी में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। तो यह काम भी थोड़ा जल्दी हो जाए कि कौन सी टैक्नॉलाजी बेहतर होनी चाहिए, उसकी शुरूआत की जाए। यह अच्छी बात है, लेकिन यह जल्दी हो जाए। हमारा बहुत सारा पैसा इसकी वजह से अटका हुआ है, न तो हम नए एस.टी.पी. वगेरहा बना पा रहे हैं और सेफ्टी टैंक

30/03/2017/1240/RG/AS/3

वगेरहा बनाकर कहीं पर जो बस्तियों के लिए प्रावधान किया जाता था, आज उसमें भी रोक लगी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, कल श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी ने एक अच्छी बात कही कि हमें habitation level पर सैक्टर स्टोरेज टैंक बनाने चाहिए।

एम.एस. द्वारा जारी

30/03/2017/1245/MS/AG/1

श्री राजेश धर्माणी (CPS)**जारी**-------

हम माननीय मंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। कुछ समय पहले मुख्य मंत्री जी ने मेरे चुनाव क्षेत्र में 70 टैंकों की एक इकट्ठी डी0पी0आर0 जोकि साढ़े आठ करोड़ रुपये की थी, का शिलान्यास भी किया। मेरे क्षेत्र में लगभग 120 टैंक या तो बने हैं या निर्माणाधीन हैं। इनके बनने से लोगों को काफी सुविधा होगी क्योंकि हमारे पास गांव के नजदीक जब स्टोरेज होती है तो उसको मैनेज करना आसान होता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जहां पर टैंक हैं वहां आपने जल-रक्षक लगाए हैं और जल-रक्षकों को जो आपने ड्युटि सौंपी है वह सिर्फ व्हील छोड़ने तक सीमित है। उसमें उनका स्कोप ऑफ सर्विस थोड़ा बढ़ाया जाए और यह एन्श्योर किया जाए कि पानी हरेक कन्ज्यूमर के नलके तक पहुंचे। इसके लिए अगर कुछ वॉटर मैनेजमैंट कमेटियां ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोगों की बन जाएं तो हम इनको अच्छे तरीके से मैनेज करने में सफल होंगे। दूसरा, यह भी देखा गया है कि हमारे पास रिपोर्टिंग का कोई सिस्टम नहीं है। हम पंचायतों को स्कीमें दे रहे हैं लेकिन पानी कितना लिफ्ट हो रहा है उसके बारे में हम नहीं बता पाते हैं। इसलिए ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए क्योंकि आजकल ऐसी टैक्नोलोजी है कि पानी को नापा जा सकता है कि हम सोर्स से कितना पानी उस टैंक से लिफ्ट कर रहे हैं। इससे हमारे जो पंचायत के नुमाइन्दे हैं उनको भी पता होगा और कन्ज्यूमर को भी पता होगा कि डेली बेसिज के ऊपर कितना पानी पहुंच रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कोई कमी है तो वह भी आइडेंटिफाई हो सकती है कि इसके लिए कौन से लोग जिम्मेवार हैं। मैंने स्वयं भी कई बार देखा है कि हमारी पम्पिंग मशीनरी ठीक है लेकिन जो हमारा फिल्ड स्टाफ है जब लोग उनसे पानी के बारे में पूछते हैं तो वे कहते हैं कि पम्पिंग मशीनरी खराब है इसलिए पानी लिफ्ट नहीं हो रहा है और हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। इससे यह बहाने-बाजी भी बन्द होगी और जो पानी का मिसयूज है वह भी बन्द होगा। इसलिए इस तरफ अवश्य ही कुछ कदम उठाए जाएं।

यहां कौंडल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि गोविन्द सागर झील के किनारे के लोग भी उससे पानी की सुविधा नहीं ले पाते हैं। मैंने भी एक स्कीम

30/03/2017/1245/MS/AG/2

एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में डाली है उसको प्रायोरिटी पर बनाया जाए क्योंकि पानी काफी है। इसलिए कम-से-कम जहां ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं वहां पर अलाऊ किया जाए ताकि उस पानी से हमारे आसपास के लोगों को सुविधा मिल सके। एक माननीय सदस्य की तरफ से यह भी बात कही गई, शायद के0एल0 ठाकुर जी ने कही थी कि हैंडपम्प हम लगा रहे हैं लेकिन बहुत सारे हैंडपम्प सूख रहे हैं और हैंडपम्पों की वजह से बहुत सारी नेचुरल वॉटर बॉडिज आज सूखी पड़ी है। कई जगह नाले या प्राकृतिक सोर्सिज थे जिनके ऊपर लोग आधारित थे और खेती-बाड़ी का काम करते थे लेकिन आज वहां पीने-का-पानी भी नहीं है। जो इंटेग्रेटिड वॉटर शैड मैनेजमैंट का कार्यक्रम है इसको हमारा ग्रामीण विकास विभाग चलाता है या फॉरैस्ट डिपार्टमैंट चलाता है और कई जगह पर कृषि विभाग भी चलाता है। इसमें आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट को भी सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि हमारी जो नेचुरल वॉटर बॉडिज हैं उनका संरक्षण और सम्वर्द्धन करने की आज के समय में बहुत आवश्यकता है। कई जगह इसकी ऑनरशिप को लेकर झगड़े भी हैं। इसलिए यह भी प्रावधान किया जाए कि जो नेचुरल वॉटर सोर्सिज हैं उनका मालिकाना हक सरकार के पास होना चाहिए। वे सरकारी होने चाहिए न की किसी के व्यक्तिगत तौर पर हों। उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है।

इसी तरह से हमारे यहां पर जो बड़ी या छोटी पाइपें खरीदी जाती हैं उनकी सेंटरलाइज्ड परचेज हो रही है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। इसके लिए ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए कि इसको अगर डिवीजन लैवल पर न खरीद सके तो कम-से-कम सर्कल लैवल पर खरीदा जाए। आपके पास स्टैंडर्ड फर्मे हैं जो उनको शॉर्टलिस्ट करें और उन्हीं फर्मों का एक टैण्डर लगाने के लिए उनको अलाऊ करना चाहिए ताकि हमें जो पाइपों की कमी की वजह से मुश्किलें आती हैं वे न आएं क्योंकि इसका काम सीजनल ही हो पाता है। जब लोगों के खेतों में फसल कटनी होती है उसी समय पाइपें डाल पाते हैं। यदि उस समय भी पाइपें नहीं होंगी तो दिक्कत आती है। इसलिए इसकी तरफ जरूर कुछ प्रावधान किया जाए। हैण्डपम्पों की वजह से हमारी नेचुरल वॉटर बॉडिज सूख रही हैं। उनकी रि-चार्जिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठाकुर साहब ने

30/03/2017/1245/MS/AG/3

ठीक कहा कि जहां पर हैंडपम्प लगाते हैं वहीं साथ में कहीं पर उसकी रि-चार्जिंग की भी व्यवस्था की जानी चाहिए और उस पर गम्भीर प्रयास करने की आवश्यकता है। आज हमारे लगभग 40-50 परसेंट हैंडपम्प सूख गए हैं। हम आगे हैंडपम्प लगा रहे हैं लेकिन पीछे वाले सूख रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर युद्धस्तर पर काम करने की जरूरत है नहीं तो जिस तरह से हमारा वॉटर लैवल लगातार नीचे जा रहा है उसमें हम और ज्यादा गम्भीर स्थिति पैदा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

मैं यहां अपने विधान सभा क्षेत्र की भी कुछ समस्यायें रखूंगा। दो साल पहले मैंने एक स्कीम सोर्स लैवल ऑग्यूमैंटेशन की विधायक प्राथमिकता में डाली थी क्योंकि जो छोटी-छोटी स्कीमें हैं वे सूख जाती हैं।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

30.03.2017/1250/जेके/डीसी/1

मुख्य संसदीय सचिव (राजेश धर्माणी):-----**जारी**--------

जिस तरह से हमीरपुर की बमसन-लगवालती की स्कीम बनाई गई है, उसी सोर्स से एक डी0पी0आर0 हमारे अधिकारियों ने बनाई है उसके लिए भारत सरकार ने भी जो आवश्यक परमिशन थी वह दे दी है और ब्रिक्स बैंक में इसको फंडिंग के लिए भेजा था। ब्रिक्स बैंक ने अभी शायद 670 करोड़ रूपए का प्रोजैक्ट मंजूर किया है। लेकिन जो स्कीमें अप्रूवड हैं उन स्कीमों को प्रायोरिटी के आधार पर वह पैसा दिया जाए ताकि हम इस पैसे को बेहतर इस्तेमाल कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं एक बात और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमारे बिलासपुर और घुमारवीं डिविजन का रिऑर्गेनाईज किया था। हमारे घुमारवीं क्षेत्र का कुछ हिस्सा बिलासपुर डिविजन के अण्डर आता था। एरिया तो घुमारवीं डिविजन में ट्रांसफर कर दिया लेकिन उस एरिया में जो जे0ई0 बैठता था क्योंकि वह बिलासपुर डिविजन के अण्डर था, वह जे0ई0 हमें नहीं

दिया। उसकी वजह से हमें एरिया ज्यादा मिल गया और मैन पॉवर कम हो गई। इसलिए हमारे उस सैक्शन को रिस्टोर किया जाए ताकि उस क्षेत्र के लोगों को जो समस्या आ रही है, उसका हल हो सके। दूसरे, मैं यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में प्रकृति ने एक बहुत बड़ा आर्शीवाद हमें दिया है। हमारे यहां पर ग्रेविटी की स्कीमें बनती है। ग्रेविटी बेस्ड वॉटर सप्लाई स्कीम भी है और फ्लो इरिगेशन की स्कीमें भी है। इनकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नई स्कीमें भी जहां पर बन सकती हैं उनका भी पूरा सर्वे करवाया जाए। आजकल हमारे पास सैटेलाईट सर्वे करने की टैक्नोलॉजी उपलब्ध है। सब जगह जाने की जरूरत नहीं है दफ्तर में भी बैठकर हम पता कर सकते हैं कि कहां से पानी टैप करके किस क्षेत्र को हम पानी उपलब्ध करवा सकते हैं। इसकी तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि हम क्लाईमेट के ऊपर भी, एन्वाइरन्मैंट के ऊपर भी कोई एडवर्स इम्पैक्ट न डाल सके और अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूं और जो मांग संख्या-13, सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई यहां पर डिसकशन के लिए रखी थी, इस पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे समय दिया, मैं मांग का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

30.03.2017/1250/जेके/डीसी/2

अध्यक्षः अब श्री किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेंगें। कृपया लंच से पहले-पहले पांच मिनट में अपनी बात रखें ।

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-13, सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई के ऊपर चर्चा चली हुई है। इस मांग पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 में हिमाचल प्रदेश की आबादी 68 लाख थी अब शायद 70 लाख के करीब है । आजादी के बाद हम लोग गांव में बसते थे और पीने के स्त्रोत कुंए, तालाब, बावड़िया या फिर चंगर क्षेत्र में खात्रियों से पीने का पानी लाते थे लेकिन सरकार द्वारा गांव-गांव में नलों द्वारा पानी पहुंचाया गया। ग्रेविटी की स्कीमें बनाई

गई और लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिन गांव में ग्रेविटी का पानी नहीं पहुंचता वहां लिफ्ट पेयजल योजनाएं बनाकर लोगों को पानी दिया जा रहा है। आज देखने में आता है कि गांव-गांव में, शहरों में जहां लोगों ने निजी नल लगाए हुए हैं, घरों में वाटर टैंक कोठियों के ऊपर रखे हुए हैं, वहां पानी पहुंच रहा है और कई लोग इसलिए वंचित हैं क्योंकि जिन गांव में पहले स्कीमें बनी थी, वहां उस समय आबादी के हिसाब से पाइप लाइनें बिछाई गई थी। जहां 10 घर थे, वहां एक ईंच, आधे ईंच व पौने ईंच की पाइप थी लेकिन वहां पर अब सौ-सौ घर हो गए हैं। वाटर सप्लाई वही है। इस वजह से कुछ समस्याएं हैं और वहां पर अगर पाइप लाइनों को बदला जाए, जो हमारे पुराने टैंक हैं उनकी मुरम्मत की जाए तो पीने के पानी की कहीं भी कमी नहीं है। आज सरकार द्वारा जगह-जगह पर वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं। ओवर हैड टैंक बनाए जा रहे हैं और लोगों को पानी दिया जा रहा है। जो हमारा चंगर का क्षेत्र है, कोई समय था,

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

30.03.2017/1255/SS-DC/1

श्री किशोरी लाल क्रमागतः

जब वहां से लोग गर्मियों के दिनों में अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए दरिया के किनारे ले जाते थे। लेकिन अब ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती है। लोग अपने गांवों में ही पशुओं को पानी पिला रहे हैं। ये जो सरकार द्वारा पेयजल योजनाएं लोगों के लिए बनाई गई हैं यह केवल पीने के पानी के लिए थीं। लेकिन लोग इसका दूसरा उपयोग कर रहे हैं। इसी पानी से घर बना रहे हैं। कपड़े भी इसी पानी से धोते हैं। पशुओं को भी इसी पानी से नहलाते हैं और जो अपनी छोटी-मोटी खेती है उसकी भी इसी पानी से सिंचाई करते हैं। इसलिए कभी-कभी पानी की समस्या गर्मियों के दिनों आती है क्योंकि गर्मियों के दिनों में नदी-नाले सूखते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के निवासी खुशहाल हैं। कुदरत ने हिमाचल

प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। नदियां दी हैं। ऋतुओं के हिसाब से यहां वर्षा होती है। गर्मी पड़ती है। सर्दी होती है और अगर फिर भी हम कहें कि हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी की कमी है तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। इस हिसाब से जहां ग्रैविटी और उठाऊ पेयजल योजनाएं नहीं हैं वहां पर सरकार हैंडपम्पों के द्वारा लोगों को पानी उपलब्ध करवा रही है। ट्यूबवैल बोर किये जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि आज बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से कहीं पानी की कमी हो।

इसी तरह हमारे जो किसान हैं उन्हें सिंचाई के लिए कूहलों द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। हमारे कई जगह देखने को आया है कि अच्छे डैम सरकार द्वारा बनाये गए हैं। वहां से नहरें निकाली गई हैं और नहरों के द्वारा आगे सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। मैं बैजनाथ क्षेत्र की बात करना चाहता हूं कि कोई समय था जब बैजनाथ में केवल राय बहादुर जोधामल जी की एक वाटर सप्लाई स्कीम थी। केवल पांच नल उन द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे। वहां से ही लोग पीने का पानी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज सरकार द्वारा बहुत बढ़िया स्कीम बनाई गई है और गर्मियों में भी पानी की समस्या नहीं होती है। मैं विभाग का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि खीरगंगा और कथोग दो हमारे बहुत बढ़िया स्त्रोत हैं। जो हमारा

30.03.2017/1255/SS-DC/2

कथोग का पानी है वह लाहौर तक पीने के लिए जाता था। आज वह पानी व्यर्थ बह रहा है। अगर वहां पर उस पानी की स्टोरेज की जाए और लिफ्ट करके बैजनाथ को दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वह स्वास्थ्यवर्द्धक पानी है। मैं विभाग का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। अब हमारे क्षेत्र में पानी की कमी नहीं है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने नगर पंचायत बैजनाथ को सीवरेज बनाने के लिए धन उपलब्ध करवाया है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यहां बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं, धन्यवाद, जय हिन्द, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए 2:00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

30.03.2017/1415/केएस/एजी/1

सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत अपराह्न 2.15 बजे पुनः आरम्भ हुई।

अध्यक्षः अब मांग संख्या-13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई की चर्चा के बाद माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री उसका उत्तर देंगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में समान विकास की नीति को ध्यान में रखकर सिंचाई सुविधा बढ़ाने के अनेक उपाय किए हैं। एक ओर जहां प्रदेश की विशाल वादियां हैं, वहीं पर मेज़र, मिडियम तथा नलकूप सिंचाई की जितनी योजनाएं हैं, उनको भी बढ़ावा मिला है । मेज़र और मिडियम योजनाओं का हमको बहुत ज्यादा फायदा मिला है तो दूसरी ओर उन क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती हैं, उनमें धन की उपलब्धता बढ़ाकर सिंचाई के साधन जुटाने का प्रयास होता है और उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। प्रदेश की कुल अनुमानतः कृषि योग्य भूमि 5 लाख 83 हजार हैक्टेयर है तथा इसमें से 3 लाख 35 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकती है। इरिगेशन रिसोर्सिज़ सही ढंग से जुटाने हेतु उन्हें तीन मुख्य भागों में बांटा है। जनवरी, 2017 तक 2 लाख 59 हजार हैक्टेयर भूमि में मेज़र/मिडियम जो योजनाएं हैं, माइनर भी है, इरिगेशन स्कीम्ज़ भी हैं, उनके माध्यम से सिंचाई सुविधा को भी प्रदान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" वर्ष 2015 में शुरू की गई है। सिंचाई सम्बन्धी सभी योजनाएं इस योजना के अधीन कार्यान्वित होंगी। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत बनने वाले डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान और स्टेट इरिगेशन प्लान तैयार करने के लिए स्टेट लैवल सैंक्शिनिंग कमेटी से अप्रूव करवाकर भारत सरकार को भेज दिया है । इस योजना के अंतर्गत विभाग का प्रस्तावित कुल संचित किया जाने वाला क्षेत्र 01,86,018 हैक्टेयर है और अनुमानित लागत 5,664 करोड़ रुपये हैं

तथा 1,857 योजनाओं का भी निर्माण किया जाना है जिसे वर्ष 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

30.3.2017/1420/AV/AG/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री क्रमागत

इस योजना के तहत फंडिंग का अनुपात 90:10 है। सरकार द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 7 मध्यम सिंचाई योजनाओं को जिनकी अनुमानित लागत 1135 करोड़ रुपये है को ए0आई0बी0पी0 कम्पोनैंट तथा 118 लघु सिंचाई योजनाओं की अनुमानित लागत 351 करोड़ रुपये है। यह भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। अभी हमारे पास इसमें फंड नहीं है। Since 2015 funds under AIBP have not been received. The State Government has not given us any money. खाली दो सौ करोड़ रुपये के अलावा हमें आज तक कुछ नहीं दिया है। हमें इस बात का जरूर दुःख होता है। लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं कि ज्यादा-से-ज्यादा काम करें। चालू वित्तीय वर्ष में 25 सौ हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें फरवरी, 2012 तक 1771 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 210.75 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में भी लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 3500 हैक्टेयर का लक्ष्य प्रस्तावित है जिसके लिए 218.30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में रखे गए बजट की तुलना में 7.55 करोड़ रुपये अधिक है। अभी हम चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की बात कर रहे हैं और उसमें मेज़र एण्ड मीडियम इरिगेशन प्रोजैक्ट के अंतर्गत 70 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। अगले वित्तीय वर्ष में 7करोड़ रुपये बजट प्रस्तावित है जो हमारी इस सैक्टर को तीव्रता देकर कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आर्थिक दशा सुधारने की इच्छा को दर्शाता है। हमारी सरकार ने काफी कोशिश की है कि कहां-कहां इंतजाम किया जा सकता है। फिना सिंह मीडियम सिंचाई योजना के बारे में तो

आप सब लोग जानते हैं। यह जिला कांगड़ा तथा नादौन में पड़ती है। मीडियम इरिगेशन प्रोजैक्ट जिला हमीरपुर में निर्माणाधीन है। कमान्द एरिया डवैल्पमैंट के बारे में कहना चाहूंगी कि पहली बार माइनर इरिगेशन में सी0ए0डी0 के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2500

30.3.2017/1420/AV/AG/2

हैक्टेयर एरिया में सी0ए0डी0 एक्टिविटी का लक्ष्य प्रस्तावित है जिसके लिए 75 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि मेजर इरिगेशन प्रोजैक्ट शाहनहर है और मीडियम इरिगेशन प्रोजैक्ट सिद्धाता है। भारत सरकार के जो कमान्द क्षेत्र विकास के कार्यक्रम है वह शामिल कर लिए गए हैं। इनका कार्य प्रगति पर चल रहा है और ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर काम को अच्छी तरह से किया जाए तो सभी काम ठीक होते हैं। मैं जानती हूं कि ऐसी सभी शेष बस्तियों को फेज्ड मेनर में पूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत्त है और वर्ष 2017-18 में 670 करोड़ रुपये लागत की ब्रिक्स डवैल्पमैंट बैंक से एक नई पेयजल योजना प्रस्तावित है। जिससे सभी को आंशिक और व्यापक रूप से पेयजल उपलब्ध होगा। आप समझ सकते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई लोग यहां पर मजाक भी करते हैं कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को काम करना है, सोचना भी है और समझना भी है।

श्री वर्मा द्वारा जारी

30/03/2017/1425/टी0सी0वी0-ए0एस0/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ..... जारी

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है कि पम्पिंग मशीनरी नहीं चल रही है, उनकी मरम्मत नहीं हो रही है या उनकी मरम्मत इत्यादि पर अत्याधिक खर्च किया जा

रहा है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगी कि इस वित्त वर्ष में सरकार द्वारा पेयजल व सिंचाई योजनाओं के रख-रखाव के लिए 30 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें से 17 करोड़ रूपये पम्पिंग मशीनरी बदलने हेतु प्रस्तावित हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कुल 20750 पेयजल भण्डारण टैंकों में से लगभग 20 हजार टैंकों में ताले लगा दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी टैंकों के बारे में थोड़ी-बहुत शिकायतें आ रही थी। उनमें से कई शिकायतें सही होती है और कई नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में 1209 विभिन्न श्रेणी के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया जारी है। सभी जिलों में इनको भरने का काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में ही इन पदों को भरा जा रहा है, बल्कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इन पदों को भरा जा रहा है। हम सभी एक प्रदेश के लोग हैं और उसके लिए काम करने की सभी की सोच होनी चाहिए।

हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पर डी0पी0आर्ज0 न बनाने की बात भी की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 4 वर्षों में विभाग ने कुल 904 डी0पी0आर्ज़ में से 560 डी0पी0आर्ज़ बना दी हैं, जो कि 60 प्रतिशत् है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि विभाग ने कितना काम किया है? ये मैं आपको बताना चाहती थी कि हम किस काम को करने के लिए आये हैं और कितनी तेजी/शिक्त के साथ हम काम कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों ने यहां पर पाईपों की कमी के बारे में भी बात उठाई है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि पाईपों की शिकायत बहुत पहले से यहां पर होती थी, मैं भी इस सदन में उन शिकायतों के बारे में सुनती थी। हमारी सरकार के कार्यकाल में 18500 मिट्रिक टन जी0आई0 पाईपें क्रय की गई हैं और जो पाईपें टूटी/खराब हो गई थी, उनको बदला या रिपेयर किया गया है। लेकिन फिर भी यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायतें की है। हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में, विशेषकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल के संवर्धन

30/03/2017/1425/टी0सी0वी0-ए0एस0/2

हेतु मार्च 2016 तक 33,471 हैंडपम्पस लगाए जा चुकें हैं। इससे जहां पर पेयजल की कमी थी, उसको पूरा कर दिया गया है। हमने इतने पम्पस प्रदेश के अंदर लगाए हैं और इसका सबको लाभ मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि किसी क्षेत्र में कम हैंडपम्पस लगें होंगे, लेकिन हमने सब जगह इनको लगाने की कोशिश की है, जहां अभी भी पानी की कमी है, वहां भी अगले वित्तीय वर्ष हैंडपम्पस लगाने की कोशिश करेंगे। वर्ष 2016-17 में हैंडपम्पों की स्थापना के लिए 35 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था। जब भी हमें लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि हैंडपम्प चाहिए, हैंडपम्प दे दो, लेकिन इनको देने का भी कोई तरीका होता है, हम दे रहे हैं और काफी मात्रा में हमने हैंडपम्पस लगाये हैं। इसके बाद भी पता नहीं आप खुश हैं या नाराज़ हैं। इसी तरह से वर्ष 2017-18 के लिए 29.82 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

श्रीमती एन0एस0..... द्वारा जारी।

30/03/2017/1430/एन0एस0/ए0एस0/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री ..... जारी

आप देख सकते हैं कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमने बहुत कोशिश की है। हमारी सरकार ने दिल खोल कर काम किया है और पैसा भी दिल खोल करके दिया है। हम भारत सरकार से भी समय-समय पर पैसा मांगते रहे हैं। वे कभी दे देते हैं और कभी नहीं भी देते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने पूरी कोशिश की है। हमारी सरकार को कहीं पीछे नहीं हटना है और हर काम तरीके से करना है। इसलिए हमारी सरकार बहुत मेहनत से काम कर रही है और पैसा भी ठीक खर्च कर रही है तथा पैसा लाना हमारा फर्ज़ है। आप सब लोगों को प्रदेश के कामों का पता है। अब मैं प्रदेश में शहरों की बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी शहरों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार पेयजल की पर्याप्त आपूर्त्ति को सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं का फेस मैनर में augumentation किया जा रहा है। शिमला शहर में पानी की कमी को दूर

करने के लिए कौल डैम से जो स्कीम आ रही है, उसके लिए लगभग 837 करोड़ रूपये की राशि दे दी गई है। इसके अतिरिक्त अनुमानित लागत वाली विश्व बैंक द्वारा फंडिंग परियोजना का कार्य किया जाना है। हम पानी की कमी को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जहां पर कमियां पाई गई हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार बहुत मेहनत कर रही है। खासतौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी का इन बातों पर विशेष ध्यान रहता है। हम यहां पर इसी लिए आए हैं कि हम देश और प्रदेश की सेवा करें। हमारी हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बजट की ज्यादा बात नहीं करूंगी, केवल थोड़ी-ही बात करूंगी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं वर्ष 2016-17 की बात कहना चाहूंगी। शहरी पेयजल योजनाओं के लिए 21 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है। इसी तरह वर्ष 2017-18 में भी लगभग 21 करोड़ रूपये की राशि का बजट प्रस्तावित है। राज्य में कार्यरत पेयजल योजनाओं में पेयजल की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए तीन वर्षों में ऐसी 512 पेयजल योजनायें हैं, जिनमें पेयजल ट्रीटमैंट प्लांटस स्थित हैं या फिल्टर बैडज़ हैं या नहीं

30/03/2017/1430/एन0एस0/ए0एस0/2

हैं तथा उनकी मुरम्मत करने की आवश्यकता है, यदि कहीं पर नहीं हैं तो उनको वहां पर स्थापित करना आवश्यक है। वर्ष 2017-18 का कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। फरवरी 2017 तक 304 पेयजल योजनाओं में ट्रीटमैंट प्लांटस, फिल्टर बैडज़ का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इसके बावजूद जहां कहीं पर कमियां है, उनको दूर किया जाएगा। हम जल्दी-से-जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि पीलिया एक वाटर बोर्न डिजीज है और इसकी रोकथाम करना बहुत कठिन होता है। Water Treatment Plants (WTP) और सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट (STP) की भी मैं बात करना चाहती हूं। मैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर की भी बात करना चाहती हूं। इस प्रोसीजर को लागू कर दिया गया है। विभाग द्वारा पीने के पानी के जितने

नमूने जांच हेतु है, उनकी 42 प्रयोगशालाओं में नियमित रूप से जांच की जा रही है। हमें पिछले साल देखा कि कई जगहों पर बहुत बीमारियां फैली थीं, जिसके कारण सरकार की बहुत बदनामी होती है। कई बार छोटी सी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा करके बताया जाता है। हमारी यही कोशिश होगी कि पानी की व्यवस्था में सुधार किया जाए। लोगों को पीने का पानी स्वच्छ मुहैया करवाया जाए। प्रदेश में लगभग 2 लाख, 31,000 हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील है और प्रदेश सरकार हर वर्ष बाढ़ से हो रही क्षति से भली भांति अवगत है और इसकी रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 में बाढ़ के नियन्त्रण के लिए 135.69 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान भी किया गया है। आगामी वर्ष में बाढ़ नियन्त्रण कार्य हेतु लगभग 63 करोड़ रूपये का भी बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

श्री आर0के0एस0 ..... द्वारा जारी।

30/03/2017/1435/RKS/DC/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः ...जारी

आप सभी लोग हमारे साथ हैं और हम सबने इसके लिए कोशिश भी की है ताकि हर आम-आदमी को अच्छी सुविधा मिल सके। उसी तरीके से हम काम करने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष 2500 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें फरवरी, 2017 तक 200.50 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर कर दिया गया है। भारत सरकार से धनराशि न मिलने के कारण भी हमारे काम रूके हुए हैं। हमें भी दुःख होता है जब कमी पूरी नहीं होती। हम कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि उस कमी को कैसे दूर किया जाए। लम्बित कामों को कैसे पूर्ण किया जाए। मुझे आशा है कि हम आने वाले समय में और अधिक प्रयास करेंगे ताकि काम अच्छे ढंग से पूर्ण हो सकें। मैं वित्तीय वर्ष 2017-18 की बात करना चाहूंगी। इस वित्तीय वर्ष में 2500 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाने का प्रस्ताव है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण काफी नुकसान होता है। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो समस्या और गंभीर हो जाए। इसलिए यह देखना बहतु

जरूरी होता है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आई है उस क्षेत्र को जल्द-से-जल्द कैसे राहत दी जाए। हम इसके लिए पहले भी कोशिश करते थे, आगे और ज्यादा कोशिश करेंगे। जो सरकार के ऑफिसर्ज/कर्मचारी हैं वे सभी अच्छा काम कर रहे हैं। जिला ऊना के दौलतपुर में गगरेट पुल तक स्वां नदी के चैनेलाइजेशन के चतुर्थ चरण में फ्लड मैनेजमैंट प्रोग्राम के अंतर्गत 922 करोड़ रुपये की परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जिला कांगड़ा की तहसील इंदौरा में छोंछ खड्ड चैनेलाइजेशन की 180 करोड़ रुपये की परियोजना है। यह कार्य फ्लड मैनेजमैंट प्रोग्राम के अंतर्गत बड़ी प्रगति से हो रहा है। सभी जगह काम हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है। फिर भी विपक्ष को तसल्ली न हो तो वह उनकी अपनी सोच है। हमारी यह कोशिश रहती है कि जब भी काम करो उसे अच्छी तरह और पूरी ईमानदारी के साथ करो। जोकि हम करते आए हैं और कर भी रहे हैं। आज माननीय सदस्य श्री सुरेश भादद्वाज जी चुपचाप बैठ हैं। कल भी आपने कोई भाषण नहीं दिया। इसलिए आज आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं तथ्यों पर बात कर रही हूं। सरकार

30/03/2017/1435/RKS/DC/2

की सिंचाई, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, अर्बन वाटर सप्लाई प्रोग्राम, कूहलें, नलकूप, हैंडपम्पज के रख-रखाव, फ्लड कंट्रोल वाटर के लिए ड्रेनेज की जो वर्तमान नीति है वह पूर्णतः जनहित में है और मैं समझती हूं कि इसमें किसी तरह के फेर बदल की आवश्यकता नहीं है। छोटी-छोटी जगहों में कई बार यह सुविधा नहीं मिलती है तो वहां पर सुविधा प्रदान करवाना हमारा कर्त्तव्य है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

30.03.2017/1440/SLS-AS-1

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री...जारी

अतः मैं मान्यवर सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि आप अपने अननुमोदन प्रस्ताव वापिस लेने की कृपा करें।

हमारे युवा विधायक श्री विनोद कुमार जी कैसे नाराज हो गए हैं यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने कहा कि मुझे यह नहीं मिला, वह नहीं मिला।...(व्यवधान)...सुनिए। आप तो मेरे पास कई बार आए। मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ की कमी क्यों है। अगर किसी अधिकारी ने आपकी मांग पूरी नहीं की, उसके बारे में मुझे बताओ। ...(व्यवधान)... आपने नहीं बताया। ...(व्यवधान)... मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहती। ...(व्यवधान)...आपमें से लगभग 3-4 सदस्यों ने मुझसे मुलाकात की है और यह आपका अधिकार है। आप सभी का अधिकार है और हमें आपस में अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। अगर आपको कहीं कोई समस्या है तो वह बतानी चाहिए। आप अभी शराफ़त से बोल रहे हैं और हम नहीं कहते कि आप कोई गलत बात कर रहे हैं। आप सब लोग शरीफ़ हैं, किसी को बुरा कहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। माननीय सदस्य के क्षेत्र में पानी की कमी की शिकायत थी। ...(व्यवधान)...हम यहां काम करने के लिए ही आए हैं। हम सब अच्छी तरह से, प्यार से और सदभावना के साथ काम करें।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं थोड़ा-सा और कहना चाहती हूं। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में मितव्ययिता लागू करने हेतु अत्याधुनिक फिटिंग सामग्री की खरीद पर रोक लगाई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां और अधिक नहीं बोलना चाहती। मैं प्रदेश के हर गांव की बात कर रही हूं। सभी जगह पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सरकार कृतसंकल्प है। इस आशय से प्रदेश में डिटेल्ड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 9393 पेयजल योजनाएं हैं। 2504 सिंचाई

30.03.2017/1440/SLS-AS-2

योजनाएं हैं। यह पूर्ण कर ली गई हैं। इसके अलावा बहुत सारी पेयजल और सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। आप समझ सकते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। यह इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों की असुविधाओं को दूर किया जा सके। पेयजल उपलब्ध करवाने

का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है क्योंकि यह मद आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आती है। अन्न व नगदी फ़सलों के लिए और प्रदेश के किसानों और बागवानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सिंचाई सुविधा प्रदान करना भी अत्यंत आवश्यक है।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : कृपया बीच में न बोलें।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : हम केवल आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कह रहे हैं। आप शांति से सुन तो लीजिए। आपको बात पसंद आए तो ठीक है और न आए तो भी ठीक है। ...(व्यवधान)...फ़ैसला सभी के लिए होता है, एक आदमी के लिए नहीं होता। इसलिए शांति से सुन लीजिए।

मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि कमियां कहां ज्यादा हैं कहां कम हैं, यह देखना हम सबकी जिम्मेवारी है।

जारी ... श्री गर्ग जी

30/03/2017/1445/RG/AG/1
सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री----क्रमागत

जहां हम सब गांव के लोग रहते हैं, हम लोगों को सबका सुख-दुःख देखना है। मैं इसीलिए कहना चाह रही थी कि जितनी भी योजनाओं का हम ऑपरेशन या मेन्टीनेंस करें, उसको देखना अत्यन्त आवश्यक है। जहां कमियां रही हैं हमें उनको ठीक करना है। इसलिए मैं यहां कहना चाह रही हूं कि इन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग द्वारा फिटिंग सामग्री की खरीद आवश्यकतानुसार बजट की उपलब्धता के अनुसार की जाती है। अब जहां तक सर्दियां के मौसम से अधिक बर्फ पड़ने व बरसात के मौसम में बाढ़ व स्वायल इरोज़न के कारण क्षतिग्रस्त योजनाओं को तुरन्त बहाल करने की बात है, उसके लिए आवश्यकतानुसार फिटिंग का कार्य भी किया जाता है, वह भी जरूरी है। मैं योजनाओं के बारे में कहना चाहती हूं कि योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग द्वारा फिटिंग सामग्री की खरीद विभिन्न स्तरों पर की जाती है और यह भण्डारण

समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मांग के अनुसार रेट कॉन्ट्रेक्ट पर निविदाएं आमन्त्रित करने के लिए आदेश किया जाता है। मुझे नहीं मालूम कि इनको शुद्ध हिन्दी समझ में आ रही है या नहीं? हम शुद्ध हिन्दी बोल रहे हैं। यदि आपको कुछ समझ आ रहा है, तो पहले इधर सुन लीजिए। हम फिटिंग की बात कर रहे हैं। आप लोग यहां क्यों आए हैं? हम लोग यहां कोई तमाशा देखने थोड़े ही आए हैं। जैसा मैं कह रही था कि इसके लिए सीमा निर्धारित की गई है और योजना पर जितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार ही फिटिंग सामग्री का क्रय किया जाता है जिसके लिए कोई विशेष मापदण्ड तय नहीं किया गया है। यह मांग वर्षवार विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण व रख-रखाव के कार्यानुसार बदलती रहती है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, तो ऐसा होता ही है और पर्याप्त छानबीन के बाद केवल अति-आवश्यक फिटिंग सामग्री का क्रय किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2015-16 में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रमशः 2.6 करोड़, 091 करोड़ व 1.56 करोड़ रुपये की फिटिंग सामग्री। ----(व्यवधान)--- उनको बताने की जरूरत नहीं है बल्कि वे तो मुझे भी कुछ बातें समझा देंगे। यदि ये कुछ बता देंगे, तो अच्छा है। लेकिन हम तो वही बात करेंगे जो हमारी समझ में आ रही है। मैं कहती हूं कि काम वही करो जो सच्चाई से करो।

30/03/2017/1445/RG/AG/2

हमारी करने की हमारी आदत नहीं है। इसलिए हम काम की बात करते हैं, जो बात इनके समझ आती है, उसको स्वीकार करें, जो नहीं आती है, उसको रहने दें। हमें क्या तकलीफ है? हम तो सबके लिए सोच रहे हैं, हम एक-दो लोगों के लिए नहीं सोचते हैं, यह सब परिवार हमारा ही है। इसीलिए उसी हिसाब से सोचना है। मैं गत वर्षों की बात कर रही थी, वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 की बात कर रही थी। सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रमशः 2.6 करोड़, 091 करोड़ व 1.56 करोड़ रुपये की फिटिंग सामग्री का सामान क्रय किया गया है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, अब आपको कितना समय लगेगा?

Irrigation & Public Health Minister: Sir, it is about to finish. There are only 1-2 pages left. That's all. Is that okay?

Speaker: Hon'ble Minister, Prof. Prem Kumar Dhumal wants to speak something. You please sit down.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदया ने विस्तृत उत्तर तैयार किया है और जैसे मुख्य मंत्री जी ने अपना उत्तर लिखित तौर पर यहां 'ले' कर दिया था, माननीय मंत्री महोदया भी अपना उत्तर यहां सदन में 'ले' कर दें। हम समझ गए हैं जो ये बोलना चाहती हैं। इससे सदन का समय भी बचेगा और अगली चर्चा भी हो सकेगी। कृपया माननीय मंत्री महोदया अपने उत्तर को विधान सभा के पटल पर 'ले' कर दें। नहीं तो, ये दुबारा पता नहीं कितनी बार इसको पढ़ देंगी?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : ऐसा लगता है कि

एम.एस. द्वारा जारी

30/03/2017/1450/MS/AG/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जारी----

शायद आपको तकलीफ महसूस हो रही है। -(व्यवधान)- इसमें थकने की बात नहीं है। कल आप लोगों ने कितने भाषण दिए और किस-किस ने भाषण नहीं दिए? आप लोगों ने भी कल बड़े-बड़े भाषण दिए। हम तो यहां आप लोगों की सेवा में बैठे हैं।

अध्यक्ष: मंत्री महोदया, अब कितना रह गया है?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा सा रह गया है। Only small portion is left. Am I ready for that? Speaker, Sir, allow it. Okay.

अध्यक्ष: अभी गिलोटिन भी ऐप्लाई होना है। -(व्यवधान)- Madam, you better wind up.

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री: आप लोग बैठ जाइए। अब पढ़ने को एक ही पेज़ बचा है इसलिए आप लोग परेशान मत हाइए। तो इन तथ्यों से स्पष्ट है कि फिटिंग एसेसरीज का

क्रय आवश्यकतानुसार किया जाता है। अतः किसी भी प्रकार की बजट कटौती करना उचित नहीं होता। सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग मितव्ययिता लाने हेतु उठाऊ पेयजल योजनाओं को आउट-सोर्स पर देने के लिए लॉक लगा रहा है। इसके अलावा योजनाओं के संचालन व रख-रखाव के लिए केवल उन्हीं योजनाओं को आउट-सोर्स किया जा रहा है जहां पर कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं या कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आउट-सोर्सिंग का काम वर्ष 2008 में भाजपा सरकार के समय ही शुरू किया गया था और सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 9393 पेयजल तथा 2504 सिंचाई योजनाएं चल रही हैं। विभाग ने सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए फिल्ड स्टाफ की कमी के कारण वर्तमान में 553 पेयजल और 33 सिंचाई योजनाओं के संचालन व रख-रखाव का कार्य ठेकेदारों को दिया है। आप में से कइयों ने शिकायत की है इसीलिए मैं बता रही हूं कि विभाग द्वारा 9393 पेयजल योजनाओं में से केवल 553 योजनाएं आउट-सोर्स की गई हैं जिनमें 19 बड़ी 534 छोटी योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त कुल 33 सिंचाई योजनाओं में से 4 बड़ी तथा 29 छोटी सिंचाई योजनाएं आउट-सोर्स की गई हैं। इस तरह कुल 11897 पेयजल व सिंचाई योजनाओं में से 586 योजनाएं आउट-सोर्स की गई हैं

30/03/2017/1450/MS/AG/2

जो कुल योजनाओं का केवल-मात्र 4.93 प्रतिशत है। वर्तमान में विभाग में कर्मचारियों की कमी होने तथा एक्सपेक्टिड ऑब्जेक्टिव्ज की प्राप्ति हेतु योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनको आउट-सोर्स किया जाना आवश्यक है । अन्त में मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अनुमोदन प्रस्ताव वापिस लेने की कृपा करें। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं विशेषकर हमारे अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए बहुत समय दिया। धन्यवाद। जय हिन्द। जय हिमाचल।

30/03/2017/1450/MS/AG/3

अध्यक्षः माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं?

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय.....,

अध्यक्षः आप अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, बताइए? इस पर आपने कोई स्पीच नहीं करनी है। This is wrong. You have to say कि कटौती प्रस्ताव वापिस लेंगे या नहीं लेंगे?

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, अगर आप बोलने देंगे तभी हम "हां" या "नहीं" करेंगे। अगर आप बोलने ही नहीं देंगे तो हम कैसे बताएंगे?

अध्यक्षः आपका जो अंदाज है वह मुझे स्पीच देने का ही लग रहा है।

श्री महेन्द्र सिंहः स्पीच तो वहां से बहुत अच्छी दी है। अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने यहां पर आंकड़े रखे हैं। आप बुरा न माने। आज का ही यह आपका आउट-सोर्स के बारे में प्रश्न लगा था। आज के प्रश्न में आपने कहा है कि 553 उठाऊ पेयजल की स्कीमें हैं और 33 दूसरी सिंचाई की स्कीमें हैं और अभी आप कह रहे हैं कि 900 स्कीमें हैं। -(व्यवधान)-

Speaker: There can be no discussion. (Interruption) Hon'ble Member, Cut Motion is whether you approve it or not? If you don't approve, you don't allow the Cut Motion, but you can't put this matter to discussion. यह मैटर डिस्कशन में नहीं जाएगा। You say that if you don't agree with that . . . यह गलत बात है। The discussion cannot be re-initiated. (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंहः हम कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं लेंगे।

अध्यक्ष जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

30.03.2017/1455/जेके/डीसी/1

अध्यक्षः-----**जारी**------

तो क्या सर्वश्री महेन्द्र सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह, विजय अग्निहोत्री, इन्द्र सिंह, बिक्रम सिंह, डॉ0 राजीव बिन्दल, रिखी राम कौंडल, जय राम ठाकुर, बलदेव सिंह

तोमर, गोविन्द सिंह ठाकुर, वीरेन्द्र कंवर, कृष्ण लाल ठाकुर और श्री गोविन्द राम शर्मा के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं।

प्रस्ताव गिर गया

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमश मु0 22,60,77,70,000 एवं 4,89,66,16,000 रूपए की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

30.03.2017/1455/जेके/डीसी/2

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् आज हिमाचल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन शिमला में कर रही है। लगभग 30 हजार विद्यार्थी प्रदेश के कोने-कोने से आए हैं और शैक्षणिक भ्रष्टाचार, अराजकता, व्यापारीकरण एवं बेरोजगारी के विरुद्ध आक्रोश रैली वह शिमला में कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उनकी 30 मांगे हैं। मुख्यतः वे रूसा प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि रूसा प्रणाली को बिना किसी तैयारी के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए बगैर, स्टाफ प्रोवाइड किए बगैर लागू कर दिया गया। विद्यार्थी छठे समैस्टर के पेपर दे रहे हैं और पहले

समैस्टर का रिजल्ट उनको पता नहीं है। सारी व्यवस्था चर्मरा गई है और व्यापारीकरण जिस तरह से हो रहा है, जो अराजकता फैली हुई है, पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की अपेक्षा टायर्ड और रिटायर्ड लोगों को नौकरियों में रखा जा रहा है, नये रोजगार के रास्ते बन्द हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जो प्राईवेट संस्थान हैं वे मनमर्जी की फीस चार्ज कर रहे हैं। यह मुद्दा सरकार के ध्यान में बार-बार आता है। उसको नियंत्रण करने का कोई प्रावधान हो। जो प्राईवेट युनिवर्सिटीज़ को रैगुलेट करने और जो रैगुलेटरी कमिशन है वह उच्च रिटायर्ड अधिकारियों को फिर से नौकरियों पर लगा रहा है। हम आग्रह करेंगे कि जो विद्यार्थी परिषद् की मांग है कि शिक्षाविद लोग उसके चेयरमैन बनें। वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो ताकि वह उसमें काम करें। जो मैम्बर्ज़ हैं वे भी राजनीतिक आधार पर या कुछ लोगों को एडजस्ट करने के कारण न लगें, योग्य शिक्षाविद् लोग उसमें लगें।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

30.03.2017/1500/SS-AS/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल क्रमागतः

और इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। इनकी 30 मांगें हैं। इसमें विस्तृत तौर पर यूनिवर्सिटी की अटॉनमि को जिस तरह खत्म किया गया है, एग्जिक्यूटिव काउंसिल की पावर्ज़ को कम करने का प्रयास किया गया है, इसके विरोध में वह आंदोलन है। जो तीनों यूनिवर्सिटीज़ हिमाचल प्रदेश की हैं वहां पर उन्होंने मांग की है कि उनको समुचित संसाधन उपलब्ध करवाये जाएं और टेक्निकल यूनिवर्सिटी का हमीरपुर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो। धन्यवाद, मैंने आपके माध्यम से यही बात ध्यान में लानी थी।

समाप्त

30.03.2017/1500/SS-AS/2

अध्यक्षः अब इससे पहले कि मैं मांग संख्याः 28 - शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास को टेक अप करूं, मैं आप सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि पूरे 4:00 बजे मैं गिलोटीन एप्लाई कर दूंगा।

अब मैं मांग संख्या-28 -शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास को चर्चा एवं मतदान हेतु सभा में प्रस्तुत करता हूं।

तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-28 - शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास के अन्तर्गत राजस्व एवं पूंजी के निमित मु0 3,41,26,77,000/- रुपये (राजस्व) एवं मु0 21,06,00,000/- रुपये (पूंजी) की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

इस पर सर्वश्री महेन्द्र सिंह जी, श्री सुरेश भारद्वाज और रविन्द्र सिंह जी के कटौती प्रस्ताव आए हुए हैं, जिन्हें मैं प्रस्तुत हुआ समझता हूं जोकि इस प्रकार हैंः-

सदस्य का नाम	**कटौती प्रस्ताव**	**मांग संख्याः**
	नीति का अननुमोदन	**28**
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग छ**शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास**छ की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री रविन्द्र सिंह।

1. सरकार की वर्तमान नगर एवं ग्राम योजना
की नीति का अननुमोदन।

30.03.2017/1500/SS-AS/3

2. सरकार की शहरों में वर्तमान सफाई, पार्किंग, मल निकासी नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की स्मार्ट सिटी बनाने की नीति का अननुमोदन।

अब मैं श्री सुरेश भारद्वाज जी से आग्रह करूंगा कि वह अपनी बात रखें।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व सदन ने मांग संख्या-13 पर विचार किया और पारित की तथा मंत्रिमंडल की सबसे वरिष्ठ मंत्री उसका जवाब दे रही थीं। अब हमारी प्राथमिकता में इस मंत्रिमंडल के सबसे यंगैस्ट मंत्री हैं। शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास ये इनके विभाग हैं। अधिकांश इनका विभाग केन्द्रीय योजनाओं के आधार पर चलता है। ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में शहर एक ही है जहां से माननीय मंत्री जी चुनकर आए हैं। 22 हजार का वह नगर हिमाचल प्रदेश के बाकी नगरों को छोड़ करके नगर निगम बना दिया जाता है। ऐक्ट पास हो जाता है। बाकी कानून बनाने के लिए सरकार के पास समय नहीं होता है। लेकिन इस विभाग के मंत्री मंत्रिमंडल के इतने चहेते हैं, खूबसूरत तो ये हैं लेकिन उसके साथ-साथ ऐसा लगता है, मैं ऐसा शब्द यूज नहीं करूंगा जो मेरे मित्र कह रहे हैं। सोलन लगभग 50 हजार की आबादी वाला शहर है, मंडी जैसा शहर है, इनकी नज़रें कहीं नहीं गईं केवल मात्र नगर निगम धर्मशाला को बना दिया। धर्मशाला को नगर निगम क्यों बनाया? क्योंकि वहां के लिए इनको केन्द्र से स्मार्ट सिटी दिखाई दे रही थी। शिमला अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन नगरी ही नहीं है ब्रिटिश काल में यह हिन्दुस्तान की राजधानी रही है।

जारी श्रीमती के0एस0

30.03.2017/1505/केएस/डीसी/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी----

जब पाकिस्तान बना, दुर्भाग्यपूर्ण देश का विभाजन हुआ तब पंजाब की भी राजधानी शिमला रही और माननीय मंत्री जी निवास के लिहाज़ से आधे शिमला के भी हैं। इनका शिमला में अपना भी मकान है लेकिन अपना मकान भी इनको नहीं दिखाई दिया क्योंकि इनको वोट दिखाई दे रहे थे और वोट तो इनके धर्मशाला में हैं। इसलिए नगर निगम तो बनाया ही बनाया, जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के अन्तर्गत सारे हिन्दुस्तान में 63 शहर आते थे जिनमें शिमला भी था। धर्मशाला उसमें कहीं नहीं आता था लेकिन उसके भी नम्बर धर्मशाला को दे दिए। अरबन डवैल्पमैंट इनके पास है, इन्होंने पूरे प्रदेश के नगरों से सैल्फ असैसमैंट के आधार पर नम्बर मंगवाए । 85 नम्बर शिमला के थे इन्होंने उस पर ढाई नम्बर अतिरिक्त धर्मशाला को दे दिए और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी, बिना शिमला के मेयर, कमिशनर को बुलाये, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्कुलेशन से मीटिंग कर ली और प्रस्ताव केन्द्र को भेज दिया और शिमला को स्मार्ट सिटी से वंचित कर दिया। हमें धर्मशाला से कोई तकलीफ़ नहीं है। वह भी हिमाचल प्रदेश का शहर है और बहुत खूबसूरत स्थान है लेकिन आप अगर अन्याय करेंगें। फीगर्ज़ में हेराफेरी करके आपने शिमला को स्मार्ट सिटी बनने से वंचित किया है जो शिमला के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

इसके साथ-साथ उस धर्मशाला को जो नगर निगम की परिधि में भी नहीं आता था, नगर निगम बना दिया । उसको दूसरी राजधानी बनाने के लिए नोटिफिकेशन कर दी है। अगर नोटिफिकेशन कर दी है तो माननीय मंत्री जी, धर्मशाला में जो कर्मचारी कार्यरत्त हैं, उन सभी को आप कैपिटल अलाऊंस देना शुरू कर दीजिए । उनको शिमला के बराबर हाउस रैंट देना शुरू कर दीजिए और उनको आप शिमला के बराबर डियरनैस अलाउंस देना शुरू कर दीजिए तब तो वह धर्मशाला राजधानी होगी । हिमाचल से बड़े तो बाकी राज्यों में जिले होते हैं। यहां पर 70 लाख के लिए दो-दो राजधानियां इन्होंने खड़ी कर दी हैं। यह हिमाचल प्रदेश के

30.03.2017/1505/केएस/डीसी/2

टैक्स पेयर के ऊपर अरबन डवैल्पमैंट के लिए जो पैसा लगा है उसके ऊपर डाका डालने के समान है इसलिए शिमला को स्मार्ट सिटी से वंचित कर दिया। अब ये राजधानी बनाने के नाम पर यहां से कार्यालय बदलने के लिए प्रयासरत्त हैं और इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, शिमला की पिछले पांच वर्षों में दुर्गति करने का प्रयास किया जा रहा है। आज शिमला को पानी नहीं मिल रहा है। आप लोग भी शिमला में रहते हैं। यहां पर पानी की राशनिंग हो रही है। पिछले पांच वर्षों को छोड़कर यहां पर कभी राशनिंग नहीं हुई थी। वर्ष 2012-13 के बाद यहां पर राशनिंग शुरू हुई है। आजकल तो मार्च के महीने में ही 6-6, 7-7 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। नगर निगम और नगर निकायों की जो वर्किंग है वह इस बात से दिखाई देती है कि कल ही यहां पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जवाब दिया है कि शिमला में 6 तारीख को बर्फ गिरी थी और 13 तारीख को यहां पर बिजली रीस्टोर हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सात दिन तक बिजली ही नहीं रही, पानी नहीं मिला। लोगों को बर्फ को पिघलाकर पानी पीना पड़ा। शिमला में सात दिन तक सड़कें नहीं खुल पाई। अंग्रेजों के समय से लेकर शिमला का स्नो मैनुअल बना हुआ है और आज तक उसके आधार पर काम होता है लेकिन इस बार स्नो मैनुअल के आधार पर नहीं, सबसे पहले अगर कोई सड़क खुलती है तो वह होलीलॉज की होती है। अनाडेल जाना है तो यह पूरी सड़क वहां से खुलती है। फिर उसके बाद बाकी वी.आई.पी. एरिया की सड़क खुलती है। जबकि स्नो मैनुअल में तय है कि कौन-कौन से रास्ते, कौन-कौन से स्थान पर पहले लेबर लगेगी और कॉर्पोरेशन के पास भी और बिजली बोर्ड के पास भी लेबर नहीं है। 250 के करीब पेड़ गिरे उनको उठाने वाला इनके पास कोई नहीं था। बाद में कश्मीरी लेबर जो शिमला में बाकी काम करती है, उसको हायर करके पेड़ कटवाने पड़े।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

30.3.2017/1510/AV/dc/1

श्री सुरेश भारद्वाज ------ क्रमागत

इससे इनकी अकर्मण्यता का पता चलता है कि इनकी कार्पोरेशन और विभाग कैसे काम कर रहे हैं। वर्तमान में अर्बेनाईजेशन बहुत तेज गति से हो रही है। सारे देश भर में हो रही है और हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है। अंग्रेजों के समय में शिमला के लिए जो गुम्मा की स्कीम बनी थी वह 35 हजार की आबादी को विजुअलाईज करके बनी थी। मगर अब यहां की आबादी दो लाख से ऊपर हो गई है। यहां अश्वनी खड्ड से जो पानी की स्कीम बनी थी उसमें सारे-का-सारा सिवरेज मिल जाता है। पिछले साल शिमला शहर में सिवरेज पानी में मिल गया जिसके कारण 32 लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग पीलिया से ग्रसित हो गये। लोगों को पी0जी0आई0 तक जाना पड़ा और उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अर्बन डवैल्पमैंट डिपार्टमैंट है क्योंकि इन्होंने जहां एस0टी0पी0 लगा रखे हैं वह ठेकेदार को दे रखे हैं। उसमें ठेकेदार कौन है आपको उस बात का पता है क्योंकि एस0टी0पी0 का टैंडर वर्ष 2013 में ठेकेदार को अवार्ड हुआ है। वहां किसी प्रकार का काम नहीं होता था और सारा मलमूत्र पीने के पानी में जाता था। उस पानी का सोर्स 6 किलोमीटर पर है जहां से शिमला शहर को पानी चढ़ता है। वहां सारा गंद पानी में मिलता था और पूरे शिमला को मलमूत्र वाला पानी पिलाया गया। विशेष रूप से वी0आई0पी0 एरिया में वह पानी सप्लाई हुआ है। सचिवालय में हमारे कई अधिकारी पी0जी0आई0 भी गये और आई0जी0एम0सी0 में भी दाखिल हुए। अर्बन डवैल्पमैंट डिपार्टमैंट की इस तरह की वर्किंग है क्योंकि नगर निकायों की फंडिंग और सुपर विज़न का काम आपका रहता है। आप स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिस प्रकार से अपने अधिकारियों का उपयोग करते हैं, आप उनका उपयोग अच्छे काम के लिए भी कर सकते थे। (---व्यवधान---) कुलदीप जी, मैं आप से सहमत हूं क्योंकि मंत्री जी हर मामले में स्मार्ट है। जब पीलिया फैल गया तो यहां पर जवाब देने के लिए कोई नहीं रुका। हमारे मुख्य मंत्री जी भी उस दौरान विंटर जोन धर्मशाला चले जाते हैं। वहां से कहते हैं कि मीडिया रिपोर्ट तो ऐक्सेजरेटिड है, शिमला में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप इस बारे में अपने कांउसलर और कार्यकर्ता से पूछिए। मैं सबसे पहले किसी को देखने गया तो वह छोटा शिमला का इनकी पार्टी का कार्यकर्ता ही है और वह सबसे पहले पीलिया से ग्रसित हुआ। इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है कि क्या

करे। शिमला में इसमें जितना भी पैसा आता है वह पहले जे0एन0यू0आर0एम0 के अंतर्गत था और अब अमृत में आता है। इन्होंने स्मार्ट सिटी तो बना ही दी।

30.3.2017/1510/AV/dc/2

स्मार्ट सिटी के लिए 500 करोड़ रुपये सैंटर गवर्नमैंट देगी लेकिन 500 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमैंट को देना है। क्या अर्बन डवैल्पमैंट डिपार्टमैंट ने बजट में धर्मशाला के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ है? केंद्र से जो पैसा आया है उसको आप तब तक खर्च नहीं कर पायेंगे जब तक आप अपना शेयर नहीं देंगे। शिमला को थर्ड राऊंड में चोज करने के लिए कवायत की गई। हमने भी उसमें शिमला नगर निगम की जनता के साथ बातचीत करने में मदद की है। लेकिन उसमें भी शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अलग से 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की आवश्यकता है, उसके लिए भी आपके बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थय मंत्री जी बोल रही थी कि आप कल से बोल नहीं रहे हैं। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि शिमला के लिए पानी अर्बन डवैल्पमैंट डिपार्टमैंट आपरेट कर रहा है। पहले दो विभाग थे। सप्लाई सिंचाई विभाग करता था और वितरण यहां अर्बन डवैल्पमैंट डिपार्टमैंट का नगर निगम करता था। पिछले वर्ष मुख्य मंत्री जी ने बजट सैशन के बाद बैठक बुलाकर यह तय किया कि अब नगर निगम के पास ही सारा सिंचाई विभाग का सर्कल सौंप दिया जायेगा। अब इनका एस0ई0, ऐक्सियन और दूसरा स्टाफ नगर निगम को चला गया है। लेकिन अभी तक स्कीमें इन्हीं के पास है। आज उसमें पानी नहीं आ रहा है। कभी बिजली नहीं होती इसलिए पानी बंद हो जाता है। कभी इनकी राइजिंग मैन टूट जाती है। अगर मार्च महीने में ही पानी की कमी हो गई तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल-मई में शिमला की क्या स्थिति होगी जब पानी नहीं मिलेगा।

श्री वर्मा द्वारा जारी

30/03/2017/1515/टी0सी0वी0-ए0एस0/1
श्री सुरेश भारद्वाज ..... जारी

सारे शहरों की यही स्थिति है, ये शिमला की नहीं है, आप सोलन में जाईये, वहां भी अश्वनी खड्ड से पानी जाता है। वहां पर भी सीवरेज से मिला हुआ पानी जा रहा है। उनको भी साफ पानी नहीं मिल रहा है। शिमला के जितने भी ऊपर के शहरी एरियाज़ हैं, उनमें पानी नहीं जा रहा है। इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि आपने कौल डैम से शिमला को पानी लाने की स्कीम स्वीकृत की है, वह वर्ल्ड बैंक को भेजी गई है और वर्ल्ड बैंक की टीम यहां आई भी थीं, लेकिन यह काम एक्सिपडाइट होना चाहिए, क्योंकि जब तक शिमला के लिए लांग टर्म पानी की स्कीम नहीं बनेगी, तब तक शिमला को पानी से महरूम रहना पड़ेगा।

मेरा माननीय मंत्री जी इसमें एक और सुझाव है कि गुम्मा में एक स्पेशल डिविजन आपने सिंचाई विभाग के अंदर बनाया है। वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ रहा है। इससे गांवों के लोगों की पानी की आवश्यकता को पूरा करना है और बाकी सरप्लस पानी उसमें रहता है। उस स्कीम से आप शिमला को पानी ला सकते हैं। वह पानी जल्दी ही शिमला को मिल सकता है। अगर वह पानी शिमला को नहीं आया तो बहुत भंयकर स्थिति पानी न मिलने के कारण हो सकती है। इसलिए इस ओर ध्यान देने की जरूरत हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी शिमला में मिलते ही नहीं हैं। ये पता नहीं धर्मशाला के मिनी सचिवालय में बैठते हैं या पता नहीं कहीं और बैठते हैं। लेकिन शिमला की ओर इनका ध्यान नहीं है। इस तरह से शिमला के साथ आए दिन अन्याय करते जा रहे हैं।

मेरा एक और सुझाव है कि जो नगर निकायें हैं, शिमला शहर तो है ही, उसके अतिरिक्त सारे प्रदेश में नगर निकायें हैं। उनकी स्थिति क्या है, इस ओर आपका ध्यान नहीं है। कहीं पर भी पार्किंग नहीं बन रही है। कंजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि गाड़ियों के लिए स्थान मुहैया करवाने में आप असमर्थ है। किसी भी नगर निगम/निकाय के पास पैसा नहीं है। इस वर्ष बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान पर्किंग के लिए अलग से किया गया है, लेकिन उससे पार्किंग कहीं अपने चहेतों लिए बन जाये तो बन जाये, वरना कोई पार्किंग नहीं बन रही है। जो पार्किंग हमने यहां प्रारम्भ करवाई थी, जो माननीय धूमल जी के समय में यहां पार्किंग्ज़ बन रही थी,

30/03/2017/1515/टी0सी0वी0-ए0एस0/2

वही पार्किंगज़ आज बन रही हैं। उनमें भी आपने आधे-अधूरे उद्घाटन करवाकर फट्टे लगा दिए हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि इसके बाद पता नहीं हमने आना है या नहीं आना है। इसलिए जल्दी-से-जल्दी अपने फट्टे लगाते जाओ। इसलिए पार्किंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान अर्बन डेवैल्पमेंट डिपार्टमेंट को प्रोपरली करना चाहिए।

सरकाघाट आपकी एक नगर परिषद् है, वहां पर आपके सेक्रेटरी और जे0ई0 ही सब कुछ करते हैं। उनके पास सर्टिफिकेट्स भी नहीं हैं, उनकी रिपोर्ट भी दर्ज़ हुई है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। यहां तक कि हाई-मास्क लाईट लगी हुई थी, उसको बदल दिया गया और वहां पर फ्यूज़ लाईट लगा दी गई। जब हमारे विधायक चर्चा करते हैं, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। ये हमारी चार्ज़शीट में भी हैं। यदि आप इसको उसमें से लेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है।

अर्बन डेवेल्पमेंट में आपने सफाई के तौर पर एक नया प्रयोग धर्मशाला में अंडर ग्राऊंड डस्टबिन लगाने का किया था, पता नहीं वह हिमाचल प्रदेश में फिजिबल है या नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा 15-16 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ है। आपने अपने डायरेक्टर को, जो आपके अपने आदमी थे, इन सारी फिगर्ज़ की फोर्जरी करने में आपने उनका पूरा इस्तेमाल किया और फिर उनको बदल दिया। धर्मशाला में आपने पिछले एक-दो सालों में तीन कमिश्नर बदल दिए हैं। उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, ये मुझे तो मालूम नहीं है, ये तो आप ही बता सकते हैं कि ये क्यों बदले जा रहे हैं? वे जो डस्टबिन आप वहां पर लगा रहे थे, वे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। वह पैसा कहां गया है? क्योंकि साईवेरियन कंट्रीज की स्थिति और आबोहवा कुछ और होती है और हिमाचल प्रदेश की कुछ और है। वे कैसे लगे हैं, इसकी जानकारी पूरे प्रदेश को प्राप्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास नगर एवं ग्राम योजना विभाग है, नगर एवं ग्राम योजना विभाग में आपने कानून बनाया और बहुत बड़ी अमैंड़मेंट की है। कल 31 मार्च है और

श्रीमती एन0एस0..... द्वारा जारी।

30/03/2017/1520/एन0एस0/ए0जी0/1

श्री सुरेश भारद्वाज..... जारी

उसमें जो आपने प्रावधान किया है, वह Structural Stability Certificate का है और इस सर्टिफिकेट को कुछ चुनिंदा आर्किटेक्ट देंगे तथा एप्लीकेशन ऑन लाईन सबमिट होंगी। ऑन लाईन सबमिट तभी होगी, जिसके पास आई0डी0 होगी। प्रार्थी डायरैक्ट अपना केस नहीं भेज सकता है और उसे आर्किटेक्ट के थ्रू ही भेजनी पड़ेगा। सरकार के आर्किटेक्ट यह सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट देने का एक लाख या डेढ़ लाख रूपये की राशि मांग रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया है? क्या यह आपके अधिकारियों ने किया है या फिर आपके निर्देश पर इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है कि अब ऑन लाईन नक्शे/अन्य दस्तावेज़ मांगेगे और आप ऑन लाईन इनको नहीं दे पायेंगे। आपने इतना बड़ा कानून बनाया है। आपने वन टाईम लेजिस्लेशन करके उस कानून को बनाया था और इसके लिए हमने भी आपका सहयोग दिया था। अगर इस कानून का जनता को फायदा ही न हो तो इस कानून को बनाने का कोई फायदा नहीं है। सारे शिमला का जो बाहरी इलाका है, उसमें अधिकांश इलाका कुसुम्पटी और शिमला ग्रामीण का है। वैसे तो इसकी चिन्ता माननीय मुख्य मंत्री जी और अनिरूद्ध सिंह जी करेंगे लेकिन वहां से कई लोग हमारे पास भी आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग काम यहां करते हैं और मकान वहां पर बनाये हुए हैं। इन लोगों को इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। उनके हिसाब से इसका पैसा भी ज्यादा है क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र शिमला में पहले भी 19 गांव मिले थे, तब यहां पर तय हुआ था कि जो उनके डवेलिंग हाऊसिज़ हैं, वे as it is रहेंगे और उन पर किसी प्रकार के नक्शे की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अब आपने नये कानून बनाये हैं, उसमें सबको नक्शा देना पड़ेगा चाहे वे "As is where is basis" पर हैं। बहुत सारी सहूलियतें उसमें दी हैं। लेकिन उसमें जो पैसा लगेगा वह तो देना ही पड़ेगा। अगर किसी का मकान अढ़ाई लाख में बना है और उसको रेग्यूलराईज करवाने के लिए पांच लाख रूपये की

30/03/2017/1520/एन0एस0/ ए0जी0/2

राशि लगती है, उसे पांच लाख रूपये की राशि जमा करवाना ही पड़ेगी। सबसे बढ़िया बात यह है कि सरकार ऐसे-ऐसे सर्टिफिकेट मांग रही है जिनको बनवाना आम आदमी के वश से बाहर है और एप्लीकेशन्ज सबमिट करने के लिए ऐसे-ऐसे रूल्ज बना रखे हैं तथा इन पर रोक लगा रखी है तो इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति सबमिट करने में असमर्थ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर तुरन्त एक्शन लें ताकि लोगों को राहत मिल सके। आप इस प्रोवीज़न में दोबारा से अमेंडमैंट कर दें, आप इसी सत्र में अमेंडमैंट करवा दें, अगर आप ऑर्डिनैंस के द्वारा अमेंडमैंट करवाना चाहते हैं तो ऑर्डिनैंस से करवायें। अगर आपके रूल्ज़ में प्रोवीजन है तो उसमें प्रोवीजन कीजिए। अगर आपने इस प्रकार की डायरैक्शन्ज़ दे रखी हैं तो उनको डाइलूट कीजिए। क्योंकि कई बार जो विभाग होते हैं, वहां की ब्युरोक्रेसी इस प्रकार की इन्टेंसिज को प्रोपर लेजिस्लेशन में डालने की कोशिश करती है। इसलिए इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरुरत है। इसको ठीक करने की अत्यन्त आवश्यकता है। आप इस कानून में बदलाव कीजिए ताकि जनता को लाभ मिल सके। अगर जनता को कोई लाभ नहीं मिलना है तो फिर लेजिस्लेशन करने का कोई उपयोग नहीं होगा और जो हम सबने मिल करके किया है, उसको करने का कोई फायदा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह बहुत आवश्यक विषय है और इस ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि इसके कारण बहुत बड़ा सैक्शन, शिमला में ही नहीं, पूरे प्रदेश में लगभग 30,000 अवैध मकान गिनती में आए थे। लेकिन एप्लीकेशन्ज सिर्फ चार हजार ही आई हैं। मेरे हिसाब से अन्य लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, इसलिए वे अप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर उनको आर्किटेक्ट के थ्रू ही एप्लीकेशन दे सकते हैं,उसमें प्रॉब्लम आ रही है अन्यथा वे दे ही नहीं सकते हैं। इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जब आपने एक बार लेजिस्लेशन बना दिया कि हमने वन टाईम सैटलमैंट करना है तो इस प्रकार की छोटी-छोटी दिक्कतों को दूर करने के लिए तुरन्त प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि जनता को इसका लाभ हो।

30/03/2017/1520/एन0एस0/ ए0जी0/3

अध्यक्ष महोदय, मैं टी0सी0पी0 एक्ट के बारे में एक और निवेदन करना चाहता हूं। हम इसमें पिक एंड चूज़ करके स्थान चूज़ कर रहे हैं। जहां पर इसे बंद करना है, आप वहां पर इस एक्ट को लागू कर रहे हैं और कई जगहों पर जहां बिल्डरों को फायदा पहुंचाना है तो वहां पर टी0सी0पी0 एक्ट के प्रोवीजन को विद ड्रा कर रहे हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में एक समान क्राईटीरिया होना चाहिए। सारे प्रदेश में जहां नगर/सिटी बनने हैं और वहां पर आपको इस एक्ट को लागू करना है तो आप पूरे प्रदेश के लिए एक समान कानून बनाईये। यह पिक एंड चूज़ एक स्थान पर कुछ होगा और दूसरे स्थान में कुछ और होगा। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आम जनता में रिजेन्टमैंट होगी और लोगों के साथ अन्याय होगा तथा यह रूल ऑफ लॉ के अंगेस्ट होगा।

श्री आर0के0एस0 ..... द्वारा जारी।

30/03/2017/1525/RKS/AS/1

श्री सुरेश भारद्धाज...जारी

इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष 2012 से पूर्व 'कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट' के अंदर एक इन्क्वायरी कमीशन बना था। जिसके चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस श्री डी.पी. सूद जी थे और उन्होंने बेनामी सम्पत्तियां आइडंटिफाई की थी। इसमें कुछ नाम उन्होंने बिल्डर्ज़ के दिए हुए हैं, जिन्हें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। 'जनता लैंड प्रोमोटर लि0 कम्पनी', मोहाली, मैसर्ज़ धौलाधार रिज़ोर्ट्स, मै0 ओमैक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, गांव बिलानबली गुजरान, तहसील नालागढ़, मैसर्ज़ ओमैक्स, मोजा चकान, नालागढ़, मैसर्ज़ अमरनाथ अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्ज जी.सिटी. बिल्डर्ज़, मैसर्ज मनचंदा एंड मनचंदा बिल्डर्ज़, मैसर्ज़ बी.टी.एम. रियल एस्टेट और मैसर्ज़ डी.सी. एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। यह वे कुछ बिल्डर्ज हैं जिनके नाम बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए उस

रिपोर्ट में मैंशन हैं। उस समय हिमाचल प्रदेश में रेजिस्ट्रेशन 'हिमाचल प्रदेश अपार्टमैंट एक्ट' के तहत होती थी। उनको एक रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता था। कितने समय में उन्होंने अपना काम खत्म करना है, बिल्डिंग बनानी है यह सब उसमें तय होता था और ये लाइसैंस 2 या 3 साल के लिए इश्यू होते थे। लेकिन इन सब लोगों के लिए अपार्टमैंट एक्ट एक तहर से खत्म हो गया था। इनके लिए ऐसा कोई कानून नहीं था। उनको यह बेनामी ट्रांजैक्शन चाहिए थी और उनके लाइसैंस रिन्यू हो गए। यह बेनामी लाइसैंस कैसे रिन्यू हो गए, किसने किए और क्यों किए? अमरनाथ बिल्डर की चार स्थानों पर सम्पत्तियां थीं। उसकी रेजिस्टेशन दिनांक 20.09.2010 तक मान्य थी। फिर ये रेजिस्टेशन तीन साल बाद रिन्यू कर दी गई। जब ये रेजिस्टेशन वर्ष 2010 तक मान्य थी तो उसके बाद यह तीन साल बाद बैक डेट में कैसे रिन्यू हुई? मैसर्ज़ जी. सिटी की रजिस्ट्रेशन 21.12.2010 तक मान्य थी। अपार्टमैंट एक्ट खत्म हो चुका था। परन्तु इसको भी बैक डेट से रिन्यू कर दिया गया। मैसर्ज़ दलीप मोदगिल का लाइसैंस 03.07.2011 तक मान्य था। लेकिन दो वर्ष उपरान्त उसके दो लाइसैंस बैक डेट से रिन्यू हो गए। इस तरह दीपक बरमानी, कसौली, ऑप्टीमा कार, संदीप सेठ, डी.एल.एफ., डी.ओ.एल.एल. डवैलपर्ज़ के

30/03/2017/1525/RKS/AS/2

लाइसैंस हैं। इनके खिलाफ जस्टिस डी.पी. सूद की रिपोर्ट में सब कुछ मैंशन है परन्तु इनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई तो दूर की बात, जिनके लाइसैंस खत्म हो चुके थे उनके लाइसैंस बैक डेट से बिना किसी कानून के कैसे रिन्यूल हो गये? इस बात की छानबीन होनी चाहिए। इसलिए मांग संख्या-28-अर्बन डवैलपमैंट, टी.सी.पी. एक्ट आज यहां पर चर्चा में आ रहा है। क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मंत्री जी जो कानून बनाया गया है, इसमें जो अमैंडमैंट हुई है, इससे जनता को लाभ मिलने की बजाय इसका लाभ डवैलपर्ज को हो रहा है। क्योंकि वे स्ट्रक्चर्ज़ स्टैबिलिटी के सर्टिफिकेट किसी भी तरह से ले सकते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है, छोटा इम्प्लॉइज है, छोटा दुकानदार है, उसने अपनी रेग्यूलराइजेशन करानी है तो उसको यह सर्टिफिकेट

आसानी से नहीं मिल रहा है। वह इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर पा रहा है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जो रुल ऑफ लॉ की स्टेट चलती है, यह वेलफेयर स्टेट है, आम जनता के लिए है, गरीब के लिए है। इसका विकास होना चाहिए जो विकास की सीढ़ी के अंतिम सिरे पर खड़ा है। लेकिन हम इसका उल्टा कर रहे हैं।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

30.03.2017/1530/SLS-AS-1

श्री सुरेश भारद्वाज...जारी

जो डवलपर्ज़, बिल्डर्ज़ या बड़े लोग हैं, जो पैसा दे सकते हैं, उनका काम हो रहा है और उनकी रिन्युअल बैक डेट से भी हो रही है लेकिन जो नए लोग हैं, वह ठीक टाईम पर अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी बताएं कि यह सब-कुछ कैसे और क्यों हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, नालागढ़ में बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ अथॉरिटी है। वह इंडिपैंडैंट अथॉरिटी है क्योंकि वह इंडस्ट्रियल एरिया है। उस एरिया में वही अथॉरिटी सारा काम करती है जिसका नियंत्रण शहरी विकास विभाग के अंतर्गत होता है। लेकिन वहां जिस प्रकार से काम हो रहा है; जो सड़क किनारे निर्माण और दूसरी चीजें हो रही हैं जिनका मैंशन हमने अपने मैमोरंडम में भी कर रखा है, उन सारी चीजों के ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरी विकास विभाग प्रायरिटी में 28वें नंबर पर आता है। हमारे जो सबसे बड़े विभाग शिक्षा और लोक निर्माण थे, उनकी मांगें बिना चर्चा के ही पास हो गईं, इस कारण इस विभाग पर चर्चा करने की नौबत आई। लेकिन इस विभाग पर चर्चा

करने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आज शहरीकरण हो रहा है और लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं। लोग शहरों में मकान बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें जगह की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आप शहरों की कालोनीज और सड़कों को प्रापरली डवलप नहीं करेंगे, तो एग्जिस्टिंग शहरों के अंदर कंजैशन हो जाएगा। आप जाठियादेवी के नज़दीक सिंगापुर की तर्ज़ पर सिटी बना रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग शहर हैं, उनकी क्या हालत है? आपके समय में और उससे पहले की स्थिति को अगर आप देखें और अगर आप न्यु शिमला जाएं तो वहां पूरी कालोनी में एक ही सड़क है। अगर वह सड़क बंद हो जाए, तो पूरा-का-पूरा न्यु शिमला बंद हो जाता है। वह किसने और कैसे डवलप किया? वह भी शिमला डवलपमैंट अथॉरिटी ही थी।

30.03.2017/1530/SLS-AS-2

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मांग संख्या : 28 पर मंत्री जी और सरकार जवाब दें। इस विभाग को लैस इंपार्टैंट मानते हैं, लेकिन मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र शहरी कंस्टीच्युंसी शिमला ही है। इसलिए शिमला के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो हम समझते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री के यहां रहते होना नहीं चाहिए था, लेकिन आज इनकी आंख के नीचे यह हो रहा है और इनकी पीठ के पीछे बैठने वाले मंत्री के प्रेम में शायद ये शिमला को इग्नोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बचने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

जय भारत, जय हिमाचल।

30.03.2017/1530/SLS-AS-3

अध्यक्ष : समय बहुत तेजी से गुज़र रहा है। मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि कुछ समय पश्चात गिलोटिन लगने वाला है।

अभी श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या : 28 - शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास के लिए प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष जी, अच्छा हुआ कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी भी आ गए। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : मैं थोड़ी अपनी बात रखूंगा, फिर आप अपनी चर्चा जारी रखें।

अभी मैं सदन में नहीं था। माननीय विपक्ष के नेता प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने, जो कुछ विद्यार्थियों के द्वारा यहां पर जलूस निकाला गया, उसका ज़िक्र किया। यह प्रजातांत्रिक प्रदेश है। यहां किसी को भी जलूस निकालने की इज़ाज़त है बशर्ते कि वह कायदे-कानून के मुताबिक यह करे और कानून को न तोड़े।

जारी ... श्री गर्ग जी

30/03/2017/1535/RG/DC/1
मुख्य मंत्री----क्रमागत

जुलूस शांतिपूर्ण रहा। लेकिन जो इन्होंने कहा कि 30,000 छात्र यहां आए, तो this is totally exaggeration.अगर 30,000 छात्र होंगे, तो वे रिज से लेकर यूनिवर्सिटी तक भी फिट नहीं होंगे। ये बढ़ा-चढ़ाकर बात करते हैं। They have right to hold a demonstration. They have right to come peacefully and we welcome it. लेकिन क्योंकि इन्होंने यह बात सदन में कही कि 30,000 छात्र आए हैं, तो according to the Police estimation it was 8,000 to 10,000. इन्होंने तीन गुणा बढ़ा दिए।

अध्यक्ष महोदय, जब हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा झलसा शिमला में हुआ था, तब भी 30,000 आदमी नहीं थे और आज 30,000 छात्र यहां आ गए। अगर उनको खड़ा भी किया जाए, तो भी वे इस क्षेत्र में फिट नहीं होंगे। वे तो सिर्फ सेसेल होटल के एरिये में ही थे। It is wrong, so this is greatly

gross exaggeration and I think you could say that their demonstration took place यह कहना कि 30,000 छात्र आए, this is totally a false and fabricated figure. अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो 'रूसा' के बारे में जिक्र किया। RUSA is not something, कोई खिलौना है, आज शुरू किया, कल निकाल दिया। RUSA is an Indian name (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan), today, this pattern of education is prevailing in all the countries and in all universities of the World, यहां हिन्दुस्तान में उसको 'रूसा' कहते हैं। This pattern of Education is now prevalent in every university throughout the World. इसलिए इसमें टीचर को ऐतराज है क्योंकि उन्हें ज्यादा काम करना पड़ रहा है और छात्रों को भी ऐतराज है क्योंकि उनको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। Semester system is the best system of the Education evolved so far. May be in future some other system may come. As of today, this is a universal education system prevailing not in India but in all the progressive countries throughout the World. Therefore, just to oppose it for the sake of opposition is wrong and Government has no intention of removing it.

30/03/2017/1535/RG/DC/2

अध्यक्ष : धूमल साहब, आप क्या बोलना चाहते हैं?

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो इन्टरवीन किया, तो 'खोदा पहाड़, निकली चुहिया।' मैंने कहा कि 25,000 से 30,000 लोग आए हैं, इन्होंने कहा कि 8,000 से 10,000 लोग आए और इस सदन में बैठे हुए लोग तो कम-से-कम यह जानते हैं कि जब सी.आई.डी. सरकार को रिपोर्ट देती है, आपकी रैली हो, तो संख्या बढ़ाकर बताती है और विपक्ष की रैली जब होती है, तो वह संख्या घटाकर रिपोर्ट देती है।

Chief Minister : Apart from the CID report, it is the people of this area to whom I have talked. आखिर इसी एरिये में ही तो वे लोग थे, छोटा शिमला में तो नहीं थे, रिज पर तो नहीं थे या माल पर तो नहीं थे।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : जब आपने बात कही थी, तो मैंने सुनी, अब मेरी बात सुन लीजिए।

Chief Minister : It is exaggeration, if it is done by someone else than it's ok but if as the Leader of Opposition , as the former Chief Minister for two terms, you exaggerate these things to this extend, doesn't behove your personality and your status.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी को पता नहीं गुस्सा क्यों आता है? आपका मतभेद हो सकता है, आपने 8,000-10,000 कह दिया, आपकी मेहरबानी। यदि आप 8-10 लोग कहते, तब भी हम मान लेते। मैंने मीडिया वालों से बात की।

मुख्य मंत्री : किससे बात की?

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : मीडिया वालों से बात की। जैसे आपने लोगों से बात की, मैंने मीडिया वालों से पूछा।

मुख्य मंत्री : मीडिया वालों ने ही मुझे कहा है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कि मीडिया वालों ने इनको गुमराह कर दिया। मेरा प्वाइंट यह है।

30/03/2017/1535/RG/DC/2

मुख्य मंत्री : मैंने कहा कि मीडिया वालों ने भी कहा और स्वयं एक मीडिया वाले ने मुझे यह कहा कि जनाब यूनिवर्सिटी से लेकर माल रोड तक या विधान सभा तक कितने आदमी आ सकते हैं? क्या 30,000 आदमी आ सकते हैं?

एम.एस. द्वारा जारी

30/03/2017/1540/MS/DC/1

श्री मुख्य मंत्री जारी-------

ऐसा तो तभी हो सकता है अगर एक आदमी के ऊपर एक-एक करके 10 आदमी बैठ जाए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः जब प्रदेश को स्टेटहुड का दर्ज़ा मिला था और इंदिरा जी की रैली हुई थी जिसको आप कहते हैं कि सबसे बड़ी रैली थी, तब क्या आपने एक आदमी के ऊपर एक-एक करके 10 आदमी बिठाए थे जो 30 हजार लोग उस समय आए थे? जब उस समय 30 हजार लोग आ सकते हैं तो आज क्यों नहीं? सवाल यह नहीं है कि कितनी संख्या आई।

मुख्य मंत्रीः 30 हजार लोग तब आ सकते हैं अगर रिज़ का मैदान भी भर जाए। Not this road.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः वे जहां जा रहे हैं वहां देखकर आइएगा। कल को फोटो छप जाने हैं और सारा पता लग जाना है क्योंकि इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया की नज़र में सबकुछ है। जहां तक आपने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के बारे में कहा है, उसमें आप कह रहे हैं कि यह बैस्ट सिस्टम है तो सिस्टम को इम्प्लीमैंट कैसे किया? क्या वहां प्रोफेसर्ज पूरे लगे? क्या क्लास रूम्ज प्रौपर थे? क्या ऑल लेबोरेटरीज वहां थी तथा अन्य सुविधाएं भी क्या उपलब्ध हैं? क्या यह फैक्ट नहीं है? आपने इंटरवीन किया है। हिमाचल विश्वविद्यालय ने रिजल्ट नहीं निकाले थे। छठे समेस्टर के पेपर हो रहे थे और फर्स्ट समेस्टर का रिजल्ट नहीं निकला था। क्या यह सत्य नहीं है कि कई बच्चे जो पास हो गए थे उनको बाद में फेल कर दिया था और फेल को पास कर दिया था? रिजल्ट का परसेंटेज किस तरह से चेंज किया गया, ये सारी बातें आपके ध्यान में है। It is not a question of scoring a point. Question is that we have a problem for the youth and we should solve that.

30/03/2017/1540/MS/DC/2

Chief Minister: Speaker, Sir, I think when RUSA was introduced initially there were teething problems. I admit that. The RUSA system was introduced without making proper preparations which are meant for it. But over the years it has stabilized. Now, sufficient number of Lecturers, Professors and Teachers has been appointed. This is working very well. Maybe some people are opposing it for political reasons rather than for education reasons. This is the best system of education at this point of time. Maybe in future some other system may evolve that is different story, but this is the best system. मगर इसमें तकलीफ किसको है? टीचर्ज को तकलीफ है क्योंकि उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और ज्यादा पढ़ाना पड़ रहा है। पहले क्या था कि लैक्चरर्ज कॉलेज में जाते थे। बस एक-दो लेक्चर झाड़ दिए और फिर दो-अढ़ाई बजे कॉलेज से गायब। बच्चों को अब ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है There are more papers to prepare for, more explanations to give. यह बैटर सिस्टम है। आप स्वयं भी एजुकेशनिस्ट है। You have been a Professor. उस समय सिस्टम कुछ और था। हमने कॉलेजों में देखा है कि जब कोई प्रोफेसर लेक्चर देने आता था तो वे टैक्स्ट बुक को नहीं पढ़ते थे बल्कि जो बाजार में हैल्प बुक्स मिलती हैं उनको पढ़कर लेक्चर देते थे। अब उनको मेहनत करनी पड़ रही है और पढ़ाने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। बच्चों को भी सुबह से लेकर शाम तक, जब तक छुट्टी नहीं होती है कॉलेज में रहना पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर अटैंड कर लिया और फिर माल रोड घूमने निकल गए या कॉफी हाऊस में बैठ गए या और जगह कहीं चले गए। This new system has brought some seriousness in teaching and In studying both. It is the best system known today. Maybe tomorrow even better system may come. We should be always ready to take what is the best. This is best as of today. -(व्यवधान)-हम डरते नहीं है। आप लोग बच्चों को बहकाना छोड़ दो।

30/03/2017/1540/MS/DC/3

अध्यक्षः मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि 4.00 बजे गिलोटिन लग जाएगा। अभी पौने चार बजे का समय हो गया है और माननीय मंत्री जी ने जवाब भी देना है। अदरवाइज कोई

भी नहीं बोल पाएगा और मंत्री जी भी जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर इसको मैं वैसे ही पास करा लूंगा। Guillotine means Guillotine -(व्यवधान)-अभी मंत्री जी ने जवाब देना है। If you cut down your speeches ---(intereuption)---

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

30.03.2017/1545/जेके/डीसी/1

अध्यक्षः-----**जारी**------

सुरेश भारद्वाज जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक तो संख्या डिस्प्यूट की है कि 25-30 हजार नहीं है ये तो 8-10 हजार हैं। मुख्य मंत्री जी 8-10 हजार भी कोई कम नहीं होते हैं क्योंकि उसके बारे में कहा गया है किः

"तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है।

जिस ओर ज़वानी चलती है, उस ओर ज़माना चलता है॥"

अध्यक्षः गोविन्द सिंह ठाकुर जी अब टाईम नहीं रहा । There is no time for discussion. (Interruption) आप क्या बोलना चाहते हैं? आप लोग मेरी बात सुनिए। जो मैं कह रहा हूं कि अभी समय नहीं है क्योंकि 4.00 बजे गिलोटिन लगेगा and nobody will be able to speak. अभी मंत्री जी ने ज़वाब भी देना है। (व्यवधान) रविन्द्र सिंह जी बीच में आप चर्चा करते हैं मैं तो नहीं करता हूं। It is your discussion, not my. I don't waste time.

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, अगर समय का ख्याल होता तो धूमल साहब को यह सवाल उठाना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद जब यह खत्म होता तब आप बोलने का समय मांगते। (व्यवधान)

अध्यक्षः आप मेरी बात सुनिए। (Interruption) Don't teach me (to Shri Hans Raj)? You please keep quiet. Don't direct from there? मैं यह कह रहा हूं कि असैम्बली का टाइम आपका है और every time is divided for the things. यह समय स्पीचिज़ के लिए भी है गिलोटिन भी लगता है और इसका मतलब यह है कि (व्यवधान) सुनिए, बात सुनिए। अगर आपने अपनी चलानी है तो फिर चला लीजिए। जो भी समय वेस्ट होता है वह

भी असैम्बली का समय होता है। We can't help that. फिर मंत्री जी ज़वाब नहीं देंगे और 4.00 बजे गिलोटिन लगेगा। (व्यवधान) मैं डायरैक्टली बन्द कर दूंगा। मैं आपकी इज़ाजत चाहता हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मंत्री जी इसका ज़वाब देंगे? मंत्री जी के पास टाईम नहीं होगा और अगर गिलोटिन लग गया तो I will start reading passing it out. पहले तो आपने कहा नहीं और चुपचाप सुनते रहे। You are simply wasting time. Minister need not answer that. I will stop this. (Interruption) ठीक है, गोविन्द सिंह ठाकुर जी बोलिए। It is your time, not my time.

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष जी, मेरा समय तो आपने ले लिया लेकिन अब मैं सीधा-सीधा अपनी बात पर आ रहा हूं। मेरा इस विधान सभा में एक प्रश्न था। मेरा प्रश्न यह था कि नगर परिषद् मनाली में कुल कितनी पार्किंग है? आपने मुझे ज़वाब दिया कि 13 पार्किंग है और उन 13 पार्किंग के बाद हिसाब दिया है 9 पार्किंग का उन सबमें जो टोटल है लगभग आप एक अंदाजा लगाईए नगर परिषद मनाली के अन्दर टोटल 551 गाड़ियों की पार्किंग यानि पूरे नगर परिषद मनाली में गाड़ियों की पार्किंग 2015-16 में नगर परिषद मनाली ने 80 हजार में 551 गाड़ियों की पार्किंग एक साल में अलॉट की है। मैंने कहा कि विज्ञापन

किस अखबार में दिया? उन्होंने कहा कि दैनिक सवेरा में दिया। शायद दैनिक सवेरा की मनाली में 10 प्रतियां आती हैं। लेकिन यह सुन कर आपको हैरानी होगी कितना जबरदस्त कितना बड़ा घोटाला है। माननीय उच्च न्यायालय ने मनाली में लैफ्ट बैंक, राईट बैंक में दोनों तरफ ग्रिन टैक्स बैरियर लगाया और इन टैक्स बैरियर में कहा कि टू व्हीलर से 50/- रूपए लेंगे, फोर व्हीलर कार से 100/-रूपया लेंगे, स्कॉरपिओ, सुमो इत्यादि से 300/- रूपए लेंगे और बसिज से 500/-रूपया लेंगे। जब ये बसें ग्रीन टैक्स बैरियर से ऊपर जाएंगी

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

30.03.2017/1550/SS-AG/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर क्रमागतः

तो वहां पर नगर परिषद् और सब लोग इनको फ्री में पार्किंग प्रोवाईड करवायेंगे। अब आप देखिये, एक तो कानून को तोड़ा, कोर्ट की अवेहलना की और उस अवेहलना के साथ-साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मनाली में गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं होती, वहां एक पार्किंग है। इन्होंने जवाब दिया है कि उस पार्किंग में 200 गाड़ियों की क्षमता है। वह पार्किंग आपकी नगर परिषद् ने एक साल के लिए 12 हजार रुपये में दी है। फिर उनकी एक पार्किंग सिविल हॉस्पिटल के साथ है जहां पर 150 गाड़ियां खड़ी होती हैं। वह 17 हजार रुपये में दी है। एक पार्किंग हडिम्बा माता मंदिर के पास है, जिसमें 15 गाड़ियां खड़ी करने की कैपेसिटी है। विभाग ने अपने आप जवाब दिया है कि वह 7 हजार रुपये में दी है। कहने का मतलब यह है कि पूरा मनाली 80 हजार रुपये में बेच दिया है। जबकि अगर आप अंदाजा लगायें तो लगभग 550 गाड़ियों के लिए 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से भी लगायेंगे तो वह लगभग 17 लाख के करीब बनता है। जब मनाली में हडिम्बा माता मंदिर कोई जाता है तो 15-20 मिनट में नयी गाड़ी आकर खड़ी होती है। यानी इस हद तक

नुकसान हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस सारी बात की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।

दूसरा, चंद्रताल के पास एक पार्किंग है। उसमें 12 गाड़ियां खड़ी करने की क्षमता है। उस समय के नगर परिषद् के अध्यक्ष, वह भी आपकी कांग्रेस पार्टी के नेता रूपचंद नेगी थे, उन्होंने सन् 2014 में उसे ऑक्शन में साढ़े 45 हजार रुपये में दिया था। 2015 में 50 हजार रुपये में 12 गाड़ियों की क्षमता वाली पार्किंग दी थी। उसमें पार्किंग के लिए केवलमात्र 10 रुपये लेते थे। लेकिन अब यह हो गया है कि आपकी पूरे नगर परिषद् की पार्किंग 80 हजार रुपये में गई है। इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की आवश्यकता है। एक पर्यटक से आप 300 रुपये गाड़ी का लेते हैं यानी मनमाने तरीके से जो हो रहा है इसको रोकने की अत्यंत आवश्यकता है।

30.03.2017/1550/SS-AG/2

अब जहां तक आपने नगर एवं ग्राम योजना विभाग की बात कही। सन् 2009 में Dehli School of Planning and Architect से हिमाचल प्रदेश की सरकार का एक एम0ओ0यू0 हुआ। Dehli School of Planning and Architect ने एक विज़न डाक्युमैंट मनाली के लिए तैयार किया। 2012 और 2013 में भी मामला कैबिनेट में आया। आज लगभग पांच साल बीतने को हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसके लिए टूरिज्म काउंसिल ने पैसा भी दिया है और Dehli School of Planning and Architect के प्रोफेसर ने वहां पर आकर सबको विज़न डाक्युमैंट दिखाया भी, लेकिन आज पांच साल से वह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। अब नगर एवं ग्राम योजना विभाग की स्थिति यह है कि कुल्लू जिला में टाउन प्लानर आपके पास नहीं है और मंडी के टाउन प्लानर को वहां हफ्ते दस दिन में एक बार जाना पड़ता है। केवल मात्र असिस्टैंट टाउन प्लानर है। मनाली में आपका प्लानिंग ऑफिसर नहीं है। आपके पास जे0ई0 नहीं है। यहां तक हालत है कि मनाली का जो डिवैल्पमैंट प्लान बना है उस डिवैल्पमैंट प्लान के साथ यह है कि मनाली में जो पार्किंग की हाइट है वह 2.70 मीटर है। जबकि बाकी प्रदेश में यह तीन मीटर है। अगर वहां पर कोई टैम्पो ट्रैब्लर जाता है तो

वह अंदर जा नहीं सकता। इसमें अमैंडमैंट की आवश्यकता है। मनाली के अंदर विशेष तौर पर जो ऐटिक है, वह 7 मीटर बीच में है, आप कहते हैं कि जीरो साइड में करो। लेकिन उसमें एक प्रतिबंध है कि उस ऐटिक को आप किसी भी तरह से उपयोग में नहीं ला सकते। आप स्टाफ रूम बनाओ, स्टोर बनाओ, यदि आप उसको कहीं यूज़ करते हैं तो वह मंजिल गिनी जायेगी और वह ऐटिक ऐसा है कि स्टोर के काम भी नहीं ला सकते। उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल बंद करो, ऐटिक में कुछ नहीं है अन्यथा यह मंजिल गिनी जायेगी। उस नियम में भी सुधार की आवश्यकता है। इसमें एक और भिन्नता है। मनाली में बिल्डिंग की अधिकतम हाइट 18.8 मीटर है जबकि बाकी प्रदेश में यह हाइट 21 मीटर है। यह आखिरकार क्यों भिन्नता है? इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें आप अमैंडमैंट करें। उसी के साथ-साथ मैं एक और विषय आपके ध्यान में लाऊंगा कि आखिरकार जो आप वन टाइम सैटलमैंट रिटैंशन पॉलिसी लेकर आए हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

30.03.2017/1555/केएस/एएस/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जारी----

अभी भारद्वाज जी ने जो बात कही, इसके कारण से गरीब व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पा रहा है। रिटैंशन पॉलिसी के रेट बहुत अधिक है। आज मण्डी का एक समाचार लगा है, 31 मार्च तक केवल मात्र 200 लोगों ने अप्लाई किया। यह डेट बढ़ाने की भी आवश्यकता है। दूसरा, आप अंदाज़ा लगाइए, गरीब आदमी चार बिस्वे का अगर कोई घर बनाता है, चार बिस्वा में लगभग 162 स्क्वेअर मीटर में उसकी एक मंजिल बनेगी। अगर एम.सी. एरिया में एक हजार रु0 स्क्वेयर मीटर है तो 1 लाख 62 हजार रुपया उसका एक मंजिल का और अगर फोर प्लस बन जाता है तो लगभग 9-10 लाख रु0 तक उसका पैसा बन रहा है। कमर्शियल बिल्डिंग चार बिस्वा में अगर कोई है तो 2 हजार रु0 स्क्वेअर मीटर है। इसमें भी कमी लाने की आवश्यकता है ताकि आसानी से गरीब लोगों को लाभ मिल सके। वरना बड़े बिल्डिर्ज़ को तो लाभ मिलेगा लेकिन छोटे व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके साथ

ही अभी कमर्शियल में जो होम स्टे है, होम स्टे को तो आपने डोमैस्टिक में लिया है लेकिन जो केन्द्र सरकार की नीति है, ब्रैड एण्ड ब्रेकफास्ट करके जो वे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ब्रैड एण्ड ब्रेकफास्ट की कंडिशन बाकी होम स्टे जैसी है लेकिन आप कमर्शियल के हिसाब से उसके रेट ले रहे हैं।

Speaker: Please wind-up otherwise I will apply the Guillotine. Once the Guillotine is applied there will no recording and you will not be able to speak.

श्री गोविन्द्र सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो अनियमितताएं पाई गई हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और बाकी इस रिटैंशन पॉलिसी में भी सुधार किया जाए। मनाली के सीवरेज सिस्टम को भी सुधारने की अत्यन्त आवश्यकता है। बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

30.03.2017/1555/केएस/एएस/2

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, पहले आप जवाब दे दें।

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-28 पर जो अभी सदन में चर्चा हुई है, क्योंकि समय कम है इसलिए कुछ बातों पर मैं यह कहना चाहूंगा । जिस तरह से माननीय सदस्य ने यह कहा कि मंत्री केवल धर्मशाला के लिए हैं और इन्होंने शिमला का महत्व भी बताया लेकिन ये भूल गए कि जब पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में आए थे तो धर्मशाला जिला का उस समय भी मुख्यालय था और जिला का आकार कितना बड़ा था, वह आप भी जानते होंगे। समय कम है इसलिए मैं उसके ऊपर विस्तार में नहीं जाना चाहता। आपने कहा डाटा फ़ॉज किए गए स्मार्ट सिटी बनाने में लेकिन वह मामला उच्च न्यायालय में गया, वहां से हो कर आया उसके बाद स्मार्ट सिटी का चयन हुआ। आपने कहा कि 22 हजार की आबादी पर बना दी। 50 हजार से कम कोई भी नगर निगम नहीं

बनता। मापदंड पूरे करके उसको नगर निगम बनाया गया। आपने बहुत सारे बिल्डिर्ज़ के नाम लिए कि उनके रजिस्ट्रेशन आपने रिन्यू कर दिए तो जस्टिस सूद की सिफारिशें और इस विधान सभा की एक सिलैक्ट कमेटी बनी थी, उसके आप भी सदस्य थे, उनकी सिफारिशों के उपरांत जब दोबारा एक्ट आया तो उसके अनुरूप इनको दोबारा रजिस्ट्रेशन किया और अब तो केन्द्र सरकार नया एक्ट लाई है जिसमें रजिस्ट्रेशन और लाइसैंस प्रणाली पहली मई को खत्म हो रही है। ये सारी बातें हैं लेकिन शिमला क्योंकि हमारे प्रदेश की राजधानी है, इसकी भी स्मार्ट सिटी प्रपोज़ल कल सबमिट हो रही है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

30.3.2017/1600/av/as/1

शहरी विकास मंत्री क्रमागत

यह अमृत में भी आता है और यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो प्रक्रिया होगी उसमें इसका चयन हो। जहां तक गोविन्द सिंह ठाकुर जी ने कहा है कि मनाली की पार्किंग के लिए ट्रांसपेरैंसी नहीं बरती गई तो ऐसा विभाग के संज्ञान में भी आया है और उस पर उचित कार्रवाई होगी। जहां तक आपने कहा कि रिटेंशन पोलिसी में कोई भी व्यक्ति सीधे-सीधे अप्लाई नहीं कर सकता लेकिन लोग कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आर्किटैक्ट ही नक्शा पास करेगा। अगर कोई स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है तो उसके कुछ कारण होंगे। कोई ऐसे ही दे दें और कल को भवन गिर जाए। उसमें जान-माल का नुकसान हो तो फिर बात विभाग और सरकार के ऊपर आती है। अभी 3.00 बजे तक 7133 ऐप्लिकेशन्ज अपलोड हो चुकी है और विभाग ने जो अपने आप सर्वे किया था उसके मुताबिक प्रदेश में आठ-साढ़े आठ हजार से ऊपर डेविएशन नहीं है। हम जो यह कहते हैं कि दो सौ हुई, तीन सौ हुई; तो क्या हम यह मान लें कि सारे-के-सारे भवनों में ही डेविएशन है। इस ऐक्ट का दूसरा पहलू यह भी है कि जो लोग नियमों की पालना करते रहे उनको हम क्या इन्सैंटिव दे रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं दे रहे हैं। यह वन टाइम आया है, अगर हम इसमें खुली छूट दे देंगे तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि किसी भी नियम को लागू करना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होगा। आपके यहां पर सुझाव आए हैं और

समय हो चुका है। इसलिए मैं उन सुझावों को देखते हुए इसको रिवाईज्ड रूप में मैं ले करूंगा ताकि उनको भी अड्रैस कर दिया जाए। साथ में, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लें।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री महेन्द्र सिंह,सुरेश भारद्वाज और रविन्द्र सिंह जी के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं?

प्रस्ताव गिर गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार।

30.3.2017/1600/av/as/2

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या 28 - शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित मु0 3,41,26,77,000/-रूपये (राजस्व) एवं मु0 21,06,00,000/- रूपये (पूंजी) की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई ।

श्री टी.सी.वी. द्वारा जारी...

30/03/2017/1605/टी0सी0वी0-ए0एस0/1
मा0 अध्यक्ष महोदय... जारी...

अब मैं गिलोटिन अप्लाई करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम न0 3 में दर्शाई गई धनराशियां क्रमशः 2,73,03,56,17,000/- रूपये व 39,78,33,37,000/- रूपये संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम न0 3 में दर्शाई गई धनराशियां क्रमशः 2,73,03,56,17,000/- रूपये व 39,78,33,37,000/- रूपये संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई ।

विधायी कार्य
सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

30/03/2017/1605/टी0सी0वी0-ए0एस0/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित हुआ।

30/03/2017/1605/टी0सी0वी0-ए0एस0/3

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

अब सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाये।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2)पर विचार किया जाये।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार

30/03/2017/1605/टी0सी0वी0-ए0एस0/4

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1,संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा .... जारी।

30/03/2017/1610/एन0एस0/डी0सी0/1

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

बिल (हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) पारित हुआ।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, 31 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक : 30 मार्च, 2017 **सचिव।**